रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 13 फरवरी, 2021 ई० (माघ 24, 1942 शक संवत्) [संख्या 7

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	219–238	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	167–194	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	1–5	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	221–272	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-आदेश

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 69/दो-1-2021—नियुक्ति अनुभाग-5 की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1787/दो-5-2021-19(3)/2016, दिनांक 01 जनवरी, 2021 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2005 बैच के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन में तैनात अधिकारियों को एतद्द्वारा निम्नवत् पदनाम प्रदान किया जाता है :

क्र0	नाम व वर्तमान	नवीन पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री तथा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सचिव-II, मा0 मुख्य मंत्री तथा सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सचिव-II, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3	श्री नरेन्द्र सिंह पटेल, विशेष सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, रेशम विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, रेशम विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

नियुक्ति

25 जनवरी, 2021 ई0

सं0 714/दो-4-2020—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 55/एस एण्ड ए/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 (यथासंशोधित) के नियम-18, 20, 21 एवं नियम-22(1) के अन्तर्गत सीधी भर्ती/प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	संस्तुति सूची का क्रमांक/अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016	
		सर्वश्री/श्रीमती/कु0/सुश्री—	
1	99/5866	सन्तोष कुमार त्रिपाठी	सीधी भर्ती
2	102/7200	विकास श्रीवास्तव	सीधी भर्ती
3	114/4622	राहुल मिश्रा	सीधी भर्ती

1	2	3	4
		सर्वश्री / श्रीमती / कु0 / सुश्री–	
4	122 / 7544	योगेश कुमार	सीधी भर्ती
5	127 / 4150	पवन कुमार शर्मा	सीधी भर्ती
6	223	शिखा प्रधान	प्रोन्नति
7	224	अन्नू सक्सेना	प्रोन्नति
8	225	राकेश पटेल	प्रोन्नति
9	226	मोहम्मद रफी	प्रोन्नति
10	227	ममता सिंह	प्रोन्नति
11	228	पारूल श्रीवास्तव	प्रोन्नति
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018	
12	42 / 5294	शाश्वत पाण्डेय	सीधी भर्ती
13	47 / 3535	पिंकू कुमार	सीधी भर्ती
14	51 / 44	अभिषेक कुमार बगड़िया	सीधी भर्ती
15	54 / 5908	उत्कर्ष यादव	सीधी भर्ती
16	59 / 1133	अवनीश कुमार	सीधी भर्ती
17	67 / 4997	शरद कुमार त्रिपाठी	सीधी भर्ती
18	82 / 4740	सन्दीप चौहान	सीधी भर्ती
19	119	ज्ञानेन्द्र सिंह-II	प्रोन्नति
20	120	जहेन्द्र पाल सिंह	प्रोन्नति
21	121	अनिल कुमार-VI	प्रोन्नति
22	122	श्रीमती अलका भारती	प्रोन्नति
23	123	सरोज कुमार यादव	प्रोन्नति
24	124	सुश्री अंकिता शुक्ला	प्रोन्नति
25	125	राकेश कुमार गौतम	प्रोन्नति
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-II)	
26	74 / 7380	विनय तिवारी	सीधी भर्ती
27	91 / 1168	अशोक कुमार सिंह	सीधी भर्ती
28	94 / 3476	मोहम्मद बाबर खान	सीधी भर्ती
29	102 / 3982	निशान्त शैव	सीधी भर्ती
30	107 / 3943	नीरज कुमार बरनवाल	सीधी भर्ती
31	114 / 4010	नितिन श्रीवास्तव	सीधी भर्ती
32	119 / 2199	गोपाल जी	सीधी भर्ती
33	139 / 6446	शिवा पाण्डेय	सीधी भर्ती

1	2	3	4
		सर्वश्री / श्रीमती / कु0 / सुश्री–	
34	142 / 5544	रितिका त्यागी	सीधी भर्ती
35	227	सौरभ द्विवेदी	प्रोन्नति
36	228	आलोक कुमार	प्रोन्नति
37	229	अरविन्द कुमार शुक्ला	प्रोन्नति
38	230	रोहित सिंह	प्रोन्नति
39	231	श्रीमती तनु भटनागर	प्रोन्नति
40	232	प्रदीप कुमार-III	प्रोन्नति
41	233	नरेन्द्र पाल राणा	प्रोन्नति
42	234	सुश्री अर्चना तिवारी	प्रोन्नति
43	235	श्रीमती मिताली गोविन्द राव	प्रोन्नति
44	236	राम मणि पाठक	प्रोन्नति
		उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2018 (पार्ट-III)	
45	94 / 4313	रेनू मिश्रा	सीधी भर्ती
46	110 / 5557	उमा शंकर कहार	सीधी भर्ती
47	77	तरन्नुम खान	प्रोन्नति
48	78	सीमा वर्मा	प्रोन्नति
49	80	कुश कुमार	प्रोन्नति
50	81	राजीव कुमार सिंह	प्रोन्नति
51	83	घनेन्द्र कुमार	प्रोन्नति
52	84	सुनीता शर्मा	प्रोन्नति

2–उपर्युक्त प्रोन्नति / नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 1698 / 2020 एवं उसके साथ संलग्न एस0एल0पी0 संख्या 14156 / 2015 धीरज मोर बनाम मान्नीय उच्च न्यायालय, दिल्ली व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2020 के अधीन है।

3–महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 55 / एस एण्ड ए / 2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III) के संशोधित परिणाम में चयनित सीधी भर्ती के शेष 11 अभ्यर्थियों (सर्वश्री शशि भूषण कुमार शान्डिल, विजय कुमार हिमांशु, प्रकाश चन्द्र राणा, सुभाष चन्द्र तिवारी, सुश्री हेमलता त्यागी, मोहित शर्मा, अंजनी कुमार, सौरभ गोयल, कनिष्क सिंह, राम कृपाल एवं श्री दिनेश कुमार नागर) की नियुक्ति सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण होने पर इनके आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4–उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती, 2016, 2018, 2018 (भाग-II) और 2018 (भाग-III)में चयनित समस्त न्यायिक अधिकारियों / अभ्यर्थियों का चयन वर्षवार रोस्टर क्रम में आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-5

नियुक्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1785/दो-5-2021-19(3)/2016—श्री राज्यपाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके वर्तमान पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (पे-मैट्रिक्स लेविल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती किंजल सिंह
2	श्रीमती सौम्या अग्रवाल
3	डॉ0 सरोज कुमार
4	श्री के0 विजयेन्द्र पांडियन
5	श्री पवन कुमार
6	डॉ0 काजल
7	श्री अमृत त्रिपाठी
8	सुश्री बी0 चन्द्रकला
9	श्री अनिल ढींगड़ा
10	श्री राजेश कुमार-I
11	श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी
12	श्री चन्द्र भूषण सिंह
13	डॉ0 सर्वज्ञ राम मिश्र
14	श्री सहदेव
15	श्री विमल कुमार दुबे
16	श्री सुखलाल भारती
17	डॉ0 वेद पति मिश्रा
18	श्री राधे श्याम मिश्रा

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय-आदेश

19 जनवरी, 2021 ई0

सं0 46/छः पु0से0-2-21-547 (1)/1992—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के वर्ष 2016/17 बैच के सीधी भर्ती के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से, भारतीय पुलिस सेवा का

वरिष्ठ समयमान वेतनमान (पे मैट्रिक्स का लेवल 11, रु0 67,700-2,08,700) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच	अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री निखिल पाठक	आईपीएस-आरआर-2016	01-01-2020
2	श्री अर्पित विजयवर्गीय	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
3	श्री के0वी0 अशोक	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
4	सुश्री दीक्षा शर्मा	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
5	श्री इरज राजा	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
6	श्री केशव कुमार	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
7	श्री कुलदीप सिंह गुनावत	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
8	श्री निपुण अग्रवाल	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
9	श्रीमती श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
10	श्री सत्यजीत कुमार गुप्ता	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
11	श्री सौरभ दीक्षित	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
12	श्री एस0एम0 कासिम आबिदी	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
13	सुश्री आरती सिंह	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
14	सुश्री प्राची सिंह	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
15	श्री अभिषेक कुमार अग्रवाल	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
16	श्री विकास कुमार	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021
17	श्री सोमेन्द्र मीना	आईपीएस-आरआर-2017	01-01-2021

सं0 50डीजी/छः पु0से0-2-21-522 (100)/2020–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री नचिकेता झा, आईपीएस-आरआर-2003, श्री अजय कुमार मिश्रा, आईपीएस-आरआर-2003 एवं श्री के0एस0 इमेनुअल, आईपीएस-आरआर-2003, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200-2,18,200) तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है	राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष पुलिस महानिरीक्षक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200-2,18,200) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया जाना है	स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री नचिकेता झा	आरआर-2003	09-07-2009	श्री मोदक राजेश दिनेश राव, आरआर-2003	01-01-2021 पूर्वान्ह
2	श्री अजय कुमार मिश्रा	आरआर-2003	16-03-2015	श्री मोदक राजेश दिनेश राव, आरआर-2003	01-01-2021 पूर्वान्ह
3	श्री के0एस0 इमेनुअल	आरआर-2003	04-02-2018	श्री मोदक राजेश दिनेश राव, आरआर-2003	01-01-2021 पूर्वान्ह

सं0 51डीजी/छः पु0से0-2-21-522 (102)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्रीमती दीपिका तिवारी, आरआर-2007, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-13ए, रु0 1,31,100-2,16,600) तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है	राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष पुलिस उपमहानिरीक्षक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-13ए, रु0 1,31,100-2,16,600) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया जाना है	स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीपिका तिवारी	आरआर-2007	19-03-2019	श्री विनोद कुमार सिंह, आरआर-2007	01-01-2021 पूर्वान्ह

सं0 52डीजी/छः पु0से0-2-21-522 (101)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्रीमती अलंकृता सिंह, आईपीएस-आरआर-2008 एवं श्री किरण एस0, आईपीएस-आरआर-2008, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी को अनुमन्य किये जाने की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	कब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है	राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) में अनुमन्य किये जाने की तिथि से लाभ दिया जाना है	स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अलंकृता सिंह	आरआर-2008	15-03-2017	श्री सुरेश राव आनन्द कुलकर्णी, आरआर-2008	01-01-2021 पूर्वान्ह
2	श्री किरण एस0	आरआर-2008	03-06-2016	श्री सुरेश राव आनन्द कुलकर्णी, आरआर-2008	01-01-2021 पूर्वान्ह

सं0 60/छः पु0से0-2-21-547 (1)/2015— भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से, भारतीय पुलिस सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे मैट्रिक्स का लेवल-12, रु0 78,800-2,09,200) इस शर्त के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इनको जब भी मैनडेटरी मिड कैरियर-III (एमटीसीपी-III) प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा, तभी वह उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे—

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच	अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री शकील अहमद खाँ	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
2	श्री शैलेश कुमार यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019

1	2	3	4
3	श्री मिर्जा मंजर बेग	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
4	श्री राहुल राज	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
5	श्री शफीक अहमद	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
6	श्री राजेश कुमार	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
7	श्री राधे श्याम	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
8	श्रीमती कल्पना सक्सेना	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
9	श्री सुरेश्वर	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
10	श्री राधे मोहन भारद्वाज	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
11	श्री ओम प्रकाश (से0नि0)	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
12	श्री जय प्रकाश	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
13	श्री रामजी सिंह यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
14	श्री संजय सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
15	श्री राम किशुन	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
16	श्री राज कमल यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
17	श्रीमती राकेश पुष्कर	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
18	श्री मनोज कुमार सोनकर	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
19	श्री राजेन्द्र कुमार	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
20	श्री कुलदीप नरायन	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
21	श्री अशोक कुमार वर्मा	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
22	श्री मनी राम	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
23	श्रीमती किरन यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
24	श्री सुरेन्द्र बहादुर	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
25	श्री शहाब रसीद खान	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
26	श्री एस0 आनन्द	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
27	श्री राजीव नारयण मिश्र	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2019
28	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
29	श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
30	श्री बिकास कुमार वैद्य	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
31	श्री राजेश कुमार सक्सेना	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
32	श्री ओम प्रकाश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
33	श्री मानिक चन्द्र सरोज	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
34	श्रीमती सुनीता सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
35	श्री राजेश कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
36	श्री राकेश कुमार पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
37	श्री अशोक कुमार राय	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
38	श्रीमती सुधा सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
39	श्री मो0 नेजाम हसन	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020
40	श्री दिनेश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	01-01-2020

1	2	3	4
41	श्री हेमराम मीना	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
42	श्री यमुना प्रसाद	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
43	श्री सन्तोष कुमार मिश्रा	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
44	श्री विपिन टाडा	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
45	श्री सचीन्द्र पटेल	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
46	श्री विजय ढुल	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
47	श्री शंकल्प शर्मा	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
48	श्री सोमेन वर्मा	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
49	श्री आशीष तिवारी	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
50	श्री प्रताप गोपेन्द्र यादव	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
51	श्री अभिषेक यादव	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
52	श्री घुले सुशील चन्द्रभान	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
53	श्रीमती सुजाता सिंह	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021
54	श्री राज करन नय्यर	आईपीएस-आरआर-2012	01-01-2021

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

08 जनवरी, 2021 ई0

सं0 23/पैंतीस-2-2021–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति पत्रांक 19(vii)/01/एस-2/डी/2011-12, दिनांक 27 फरवरी, 2020 के आधार पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित श्री शम्भूनाथ सिंह पुत्र श्री छविनाथ सिंह, ग्राम-पचौरी व पो0-गहमर, जनपद-गाजीपुर, उ0प्र0-232327 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री राज्यपाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करके 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखने तथा उनको जनपद-शाहजहांपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री शम्भूनाथ सिंह को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पद का कार्यभार आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर ग्रहण कर लें। यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3–कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री शम्भूनाथ को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4–अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में यथासमय निर्धारित की जायेगी।

सं0 24/पैंतीस-2-2021–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति पत्रांक 19(iv)/01/एस-2/डी/2011-12, दिनांक 25 जून, 2019 के आधार पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के

अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित श्री आशीष कुमार पुत्र श्री काशीनाथ, ग्राम व पो0-छाता बांसडीह रोड, बलिया-277210, वर्तमान पता महाराजा बलवन्त सिंह, राजकीय चिकित्सालय, भदोही, सन्तरविदासनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री राज्यपाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करके 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखने तथा उनको जनपद-सुलतानपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री आशीष कुमार को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पद का कार्यभार आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर ग्रहण कर लें। यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3—कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री आशीष कुमार को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में यथासमय निर्धारित की जायेगी।

सं0 25/पैंतीस-2-2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति पत्रांक 19(iii)/01/एस-2/डी/2011-12, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के आधार पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री नखारू सिंह, निवासी-मुराकवल, पो0-तियारा, जिला-चन्दौली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री राज्यपाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करके 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखने तथा उनको जनपद-बांदा में अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री जीतेन्द्र बहादुर को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पद का कार्यभार आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर ग्रहण कर लें। यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3—कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री जीतेन्द्र बहादुर को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में यथासमय निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

03 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1009/आठ-8-2020-41एलयूसी/2018—चूंकि, राज्य सरकार गोरखपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर महायोजना-2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र ''आज'' तथा ''राष्ट्रीय सहारा'' के संस्करण में दिनांक 24 जुलाई, 2020 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित), 1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, गोरखपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, गोरखपुर महायोजना, 2021 में अनुसूची में उल्लिखित आराजी संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	ग्राम, तहसील एवं जिला	आराजी संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन का क्षेत्रफल	महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1033	0.3238	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
2	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1137	0.2390	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
3	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1138	0.0360	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
4	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1139	0.0850	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
5	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1140	0.1740	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
6	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1141	0.0930	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
7	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1142	0.0018	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
8	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1143	0.1042	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)
9	ग्राम-ताल रामगढ़, तह0-सदर, जिला गोरखपुर	1148	0.1118	आवासीय	व्यवसायिक (मण्डलीय केन्द्र)

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-4

सेवानिवृत्ति

14 जनवरी, 2021 ई0

सं0 01/2021/79/36-4-2021-77/1993 टी0सी0–श्रमायुक्त संगठन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों, जिनका सेवा विवरण नीचे अंकित है, स्तम्भ-6 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर लेने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री बी0के0 राय	अपर श्रमायुक्त	लखनऊ	01-01-1962	31-12-2021
2	श्री रोशन लाल	उप श्रमायुक्त	आजमगढ़	15-06-1961	30-06-2021
3	श्री प्रभाकर मिश्रा	उप श्रमायुक्त	मुख्यालय	01-09-1961	31-08-2021
4	श्री प्रदीप कुमार	सहायक श्रमायुक्त	बिजनौर	08-12-1961	31-12-2021
5	श्री अनिल कुमार सिंह	सहायक श्रमायुक्त	गौतमबुद्ध नगर	11-09-1961	30-09-2021
6	श्री राधेमोहन तिवारी	सहायक श्रमायुक्त	लखनऊ	15-07-1961	31-07-2021
7	श्री महेन्द्र सिंह	सहायक श्रमायुक्त	कानपुर	01-07-1961	30-06-2021
8	श्री अभय चन्द्र गुप्ता	उप निदेशक कारखाना	प्रयागराज	01-01-1962	31-12-2021

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

नियुक्ति / तैनाती

18 जनवरी, 2021 ई0

सं0 17 / 2021 / 2618 / 89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2020-169(एम) / 2014—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा राज्य प्रशिक्षण सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी-2 / उप प्रधानाचार्य / प्राविधिक अधिकारी (सहायक निदेशक) के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में प्रधानाचार्य श्रेणी-2 / उप प्रधानाचार्य / प्राविधिक अधिकारी (सहायक निदेशक) के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित संस्थान में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्रमांक	नाम	पता	तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	श्रीमती प्राची द्विवेदी	11 / 5 साइट नं0-1, किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0	उप प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0 संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।

2—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

3—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य द्वारा तैनाती स्थल पर 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

4—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य को उत्तर प्रदेश राज्य (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981 तृतीय संशोधन, 2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

5—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य को उल्लिखित वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होंगे।

6—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गई नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

8—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ ऑफ एलीजियेन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(4) एक से अधिक जीवित पति न होने का शपथ-पत्र।

9—उपरोक्त उप प्रधानाचार्य की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम तथा नियमावली की व्यवस्था के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
हरिकेश चौरसिया,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

22 जनवरी, 2021 ई0

सं0 3612/सत्ताईस-1-2021-305/98—उ0प्र0 (सिंचाई विभाग) सिविल संवर्ग समूह 'क' के निम्नलिखित अभियन्ताओं व वरिष्ठ वास्तुविद की वर्ष 2021 में उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्र0	नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	चन्द्र शेखर विश्वकर्मा	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	30-01-1961	31-01-2021
2	छोटे लाल पुष्कर	अधिशासी अभियन्ता	03-02-1961	28-02-2021
3	त्रिलोक चन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	15-04-1961	30-04-2021
4	जीवन राम यादव	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	24-06-1961	30-06-2021
5	वारिस रफी	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	30-06-1961	30-06-2021
6	श्याम सुन्दर	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	01-07-1961	30-06-2021
7	जियाउल हक	वरिष्ठ वास्तुविद	01-07-1961	30-06-2021
8	ओम प्रकाश यती	अधीक्षण अभियन्ता	20-07-1961	31-07-2021
9	सतीश चन्द्र	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	01-08-1961	31-07-2021
10	नरेन्द्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	10-09-1961	30-09-2021
11	सत्य प्रकाश नरौरिया	अधिशासी अभियन्ता	06-12-1961	31-12-2021

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती / स्थानान्तरण

14 जनवरी, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-72 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 मुरादाबाद के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-1 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री नरेन्द्र यादव, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-10 आगरा के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-2 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री वरूण कुमार, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-19 वाराणसी के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-3 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विनोद कुमार, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 हसनपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-4 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रवेश कुमार, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-18 आगरा के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-5 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के सुश्री अनीता, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 देवबन्द, सहारनपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-6 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राकेश कुमार कनौजिया, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-20 कानपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-7 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री हरिवंश शेखर, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-21 कानपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-8 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री तारा चन्द्र, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर नोएडा के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-9 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संदीप कुमार, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 बुलन्दशहर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-10 / 11-2021-26 / 2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सचिन कुमार-II असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-18 गाजियाबाद के रिक्त पद / स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-11/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री हेमन्त कुमार पंकज, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 नोएडा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-12/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के सुश्री अंकिता कुमार, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-13/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती मुन्नी, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर सचल दल इकाई आजमगढ़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-14/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रभात कुमार चौधरी, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-15/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुरेश चन्द्र सिंह विसेन, नवपदोन्नत असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-16/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पंकज लाल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9 गोरखपुर को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई एटा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-17/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुखराम वर्मा, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई-तृतीय अलीगढ़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-18/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सत्य प्रकाश चन्द्र, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6 मुरादाबाद को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई अमरोहा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-19/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सर्वेश चन्द्र श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 बहराइच को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई खीरी लखीमपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-20/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजय कुमार गिरी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 आजमगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई जौनपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-21/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री वीरेन्द्र सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर भरथना इटावा को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई-3 मुरादाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-22/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संतोष कुमार-IV, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 जौनपुर को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई उरई के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-23/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रवि कुमार, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 शामली को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई-प्रथम सहारनपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-24/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रशान्त कुमार राय, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-17, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई-प्रथम मिर्जापुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-25/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अभय सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-12, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई-तृतीय प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-26/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिरूद्ध सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-10 नोएडा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-27/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर नानपारा बहराइच को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-3 बस्ती के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-72-28/11-2021-26/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-73-1/11-2021-14/2020टी0सी—वाणिज्य कर विभाग के श्री बृजेश कुमार मिश्रा, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)-द्वितीय, वाणिज्य कर लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर कानपुर-प्रथम के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-73/11-2021-14/2020टी0सी—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती वन्दना सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)-द्वितीय, वाणिज्य कर झांसी को स्थानान्तरित करते हुए एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर बरेली के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुनील कुमार वर्मा-11, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-1/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री नृपेन्द्र सिंह सेंगर, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-2/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजेश कुमार राय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-7 लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-3/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती नमिता लाम्बा, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/कर वसूली) वाणिज्य कर लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-4/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मुकेश कुमार, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/कर वसूली) वाणिज्य कर बिजनौर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-5/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राम भवन, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 प्रतापगढ़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-6/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती सुषमा सिह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, एव राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर नोएडा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-7/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पारस भान सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 बिजनौर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-8/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजय कुमार शर्मा, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर झांसी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-9/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पुनीत अग्निहोत्री, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4 कानपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-10/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजीव कुमार-पंचम, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-11/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजीव कुमार-द्वितीय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-14 गाजियाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-12/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुभेश तिवारी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर हापुड़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-13/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजीव पाठक, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4 हापुड़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-14/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विवेक कुमार उपाध्याय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर लखनऊ-प्रथम के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-15/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रशान्त सक्सेना, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/कर वसूली) वाणिज्य कर मुजफ्फरनगर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-16/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री धीरज कुमार राय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-17/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मधुकर तिवारी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-18/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री गौरव अग्रवाल, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 मुरादाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-19/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अश्वनी कुमार मिश्र, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 हरदोई के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-20/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अभिषेक गुप्ता, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, एवं राज्य प्रतिनिधि वाणिज्य कर अलीगढ़ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-21/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दीपक कुमार-II, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 मेरठ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-22/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री शिव सहाय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-4 झांसी के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-23/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनुराग चौधरी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 अमेठी (छत्रपति शाहूजी महाराज नगर) के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-24/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर गाजियाबाद-द्वितीय के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-25/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अभिषेक कुमार चतुर्वेदी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6 नोएडा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-26/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अशित कुमार सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर सहारनपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-27/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के डा0 जितेन्द्र कुमार-चतुर्थ, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 खुर्जा, बुलन्दशहर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-28/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 सोनभद्र के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-29/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री पारितोष कुमार मिश्र, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-30/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राजीव त्यागी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 रामपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-32/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री मनीष कुमार, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर रेंज-सी गाजियाबाद के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-33/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री कृपाल अग्निकाहोत्री, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर लखनऊ-प्रथम के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-34/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री योगेश द्विवेदी, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 बहराइच के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-35/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 अयोध्या के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-36/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अखिलेश कुमार सिंह-II नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-37/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अभिषेक प्रताप सिंह चौहान, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 एटा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-38/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री दिनेश कुमार-III, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, एवं राज्य प्रतिनिधि-द्वितीय वाणिज्यि कर लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-39/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री रामेश्वर दूबे, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, एवं राज्य प्रतिनिधि वाणिज्य कर सहारनपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-40/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रभास कुमार, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-41/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अनमोल कपूर, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9 मेरठ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-42/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुश्री अन्जू उपाध्याय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-8 प्रयागराज के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-43/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरूण सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-11 आगरा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-44/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री राकेश प्रताप राव, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (कर निर्धारण/कर वसूली) वाणिज्य कर मेरठ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-45/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-3 शाहजहांपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-46/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विक्रम अजीत, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर मेरठ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-47/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुनील कुमार-तृतीय, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर मथुरा के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-48/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री जयेश कुमार सिंह, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-1 धामपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-49/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विवेक कुमार मिश्रा-II, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-9 गोरखपुर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-50/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री सिद्धार्थ शंकर शाही, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को डिप्टी कमिश्नर, (उ0न्या0का0) वाणिज्य कर लखनऊ के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-74-51/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के श्री विनय प्रकाश गौतम, डिप्टी कमिश्नर, (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर झांसी को डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-6 झांसी के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—46 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 फरवरी, 2021 ई० (माघ 24, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

11 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 75/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 एवं 688/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम घुसगुवॉ, कुम्हरिया, टोड़ी एवं परगहना, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	घुसगुवॉ	506-मि0	0.081	श्रेणी-5(1) न0 परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)
2	झाँसी	मोंठ	मोंठ	कुम्हरिया	430-मि0	0.100	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
3	झाँसी	मोंठ	मोंठ	टोड़ी	302-मि0	0.160	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
4	झाँसी	मोंठ	मोंठ	परगहना	203	0.090	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	

24 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 114/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687 एवं 688/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम साकिन, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	साकिन	1154-मि0	0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती (परती जदीद)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)

सं0 115/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम मडपुरा, कचीर, देवरा बुजुर्ग एवं बामौर, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	मडपुरा	113-मि0	0.202	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)
2	झाँसी	गरौठा	गरौठा	कचीर	1153	0.231	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
3	झाँसी	गरौठा	गरौठा	देवरा बुजुर्ग	358-मि0	0.117	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
						0.045	श्रेणी-5(1) न0 परती	
4	झाँसी	गरौठा	गरौठा	बामौर	434-मि0	0.146	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	

सं0 116/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21–उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम चुरारा, हरपुरा, वार उर्फ रामपुर, कटेरा एवं बसारी, तहसील मऊरानीपुर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	चुरारा	886-मि0	0.200	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल
2	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	हरपुरा	623	0.154	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	एवं स्वच्छता
3	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	वार उर्फ रामपुर	214	0.490	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण
4	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	कटेरा	2952/3	0.155	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	जलापूर्ति विभाग,
5	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	बसारी	381-मि0	0.125	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	उ0प्र0) (निःशुल्क)

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी, झांसी।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

11 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1374 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना गभाना की पुलिस चौकी पैराई के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	पैराई	1-मि0	0.150	6-4 ऊसर	थाना गभाना की पुलिस चौकी पैराई के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1375 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना जवॉ की पुलिस चौकी बरौली के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	गभाना	बरौली	बरौली	967	हेक्टेयर 0.104	5-3 ड बंजर	थाना जवॉ की पुलिस चौकी बरौली के भवन निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1376 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना जवॉ की पुलिस चौकी अमरौली के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	गभाना	कोल	अमरौली	308	हेक्टेयर 0.035	5-2 पुरानी परती	थाना जवॉ की पुलिस चौकी अमरौली के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1377 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना गभाना की पुलिस चौकी सोमना के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	सोमना	62/2	0.050	6-4 ऊसर	थाना गभाना की पुलिस चौकी सोमना के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1378 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में पुलिस चौकी बरका (थाना खैर) के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	बरका	574/1	0.058	5-3 ड बंजर	थाना खैर की पुलिस चौकी बरका के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1379 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	इगलास	हसनगढ़	मजूपुर सुबकरा	135	1.671	6-4 ऊसर	बृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु। पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

16 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1389 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना चण्डौस की पुलिस चौकी अमृतपुर बख्तपुर के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	चण्डौस	अमृतपुर बख्तपुर	476	0.048	बंजर	थाना चण्डौस की पुलिस चौकी अमृतपुर बख्तपुर के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 212/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम गुमाई, ग्राम पंचायत गुमाई, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	अतर्रा	गुमाई	836	0.218 में से 0.090	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	713	0.085	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 213/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम बुढ़ौली, ग्राम पंचायत अनथुवा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	अतर्रा	बुढ़ौली	33	0.591 में से 0.250	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	946	0.291 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 214/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम नांदनमऊ, ग्राम पंचायत नांदनमऊ, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	अतर्रा	नांदनमऊ	725	हेक्टेयर 0.692 में से 0.090	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	831	हेक्टेयर 0.571 में से 0.090	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 215/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम तेन्दुरा, ग्राम पंचायत तेन्दुरा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	अतर्रा	तेन्दुरा	437	हेक्टेयर 0.1820 में से 0.0625	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	1650	हेक्टेयर 0.2630 में से 0.0625	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 216/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम चौसड, ग्राम पंचायत चौसड, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	अतर्रा	चौसड	801	0.178	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	318	1.169 में से 0.178	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 217/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम नंदना, ग्राम पंचायत नंदना, ग्राम नगनेधी, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	अतर्रा	नंदना	196	0.158 में से 0.090	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	188	0.121 में से 0.090	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 219/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम लोमर बांगर, ग्राम पंचायत लोमर बांगर, तहसील पैलानी, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	पैलानी	लोमर बांगर	412	0.3000 में से 0.1600	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	397-क	0.1700 में से 0.1600	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 220/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बाँदा	गोयरा मुगली	गोयरा मुगली	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 809	834-मि0	0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को गोयरा मुगली ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 221/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम संग्रामपुर, ग्राम पंचायत संग्रामपुर, तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	अतर्रा	संग्रामपुर	96	हेक्टेयर 1.019 में से 0.250	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	49-मि0	हेक्टेयर 0.453 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 222/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम दुर्गापुर, ग्राम पंचायत दुर्गापुर, तहसील नरैनी, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	नरैनी	दुर्गापुर	205	हेक्टेयर 1.2470 में से 0.0630	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	ग्राम गिरवां स्थित गाटा संख्या-1959	हेक्टेयर 0.8900 में से 0.0580	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 223/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम ऐला, ग्राम पंचायत ऐला, तहसील नरैनी, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	नरैनी	ऐला	235/2	हेक्टेयर 0.0530	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	ग्राम गिरवां स्थित गाटा संख्या-1959	हेक्टेयर 0.8900 में से 0.0690	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 224/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	अतर्रा	जमरेही	जमरेही	5-1 नवीन परती खाता संख्या 444	968	हेक्टेयर 0.1380 में से 0.090	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

23 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 225/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम नरायनपुर, ग्राम पंचायत नरायनपुर, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	नरायनपुर	1819	0.190 में से 0.090	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	446-मि0	0.306 में से 0.090	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 226/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम भदेहदू, ग्राम पंचायत भदेहदू, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	भदेहदू	1064	0.660 में से 0.0625	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	1004	0.3120 में से 0.0625	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-4 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

25 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 227/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	पुकारी	पुकारी	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 798	800/3-मि0	हेक्टेयर 0.2100 में से 0.1392	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 228/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	रामपुरमुर्दी मोतियारी		5-3-ङ बंजर खाता संख्या 204	106/2	हेक्टेयर 0.5250 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 229/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	कल्यानपुर	कल्यानपुर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 494	1303/2-मि0	हेक्टेयर 0.2630 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 230/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बबेरू	जलालपुर बांगर	जलालपुर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 639	535-मि0 439/2	हेक्टेयर 1.0850 0.6400 ——— **1.7250**	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 231/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	मिर्जापुर	पैगम्बरपुर	5-1 नवीन परती खाता संख्या 153	258	हेक्टेयर 0.2910 में से 0.2510	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 232/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	मडुई	महुई	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 242	708	हेक्टेयर 0.1220 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 233/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	मसौनी भारतपुर	मसौनी भारतपुर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 521	1238-मि0	हेक्टेयर 0.2020 में से 0.1295	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खाटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

26 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 234 (5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बांदा	चकचटगन	चकचटगन	5-1 नवीन परती खाता संख्या 282	120-मि0	हेक्टेयर 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 235 (5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बांदा	पल्हरी	पल्हरी	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 658	330	हेक्टेयर 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 236 (5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	अतर्रा	जबरापुर	जबरापुर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 905	1076-ख	हेक्टेयर 0.158 में से 0.096	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 237 (5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बांदा	भिड़ौरा	भिड़ौरा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 477	489	हेक्टेयर 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 238 (5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बांदा	महोखर	महोखर	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 1458	1811	हेक्टेयर 0.1900	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 239/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम मुकेरा, ग्राम पंचायत मुकेरा, तहसील नरैनी, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाँदा	नरैनी	मुकेरा	458	हेक्टेयर 0.1740 में से 0.0973	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	ग्राम बरसण्डा मानपुर स्थित गाटा संख्या-443	हेक्टेयर 0.6830 में से 0.0973	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 240/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	पोंगरी	पोंगरी	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 815	1369-ग	हेक्टेयर 0.2790 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 241/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	नरैनी	अमृतपुर खेरवा	बडेहा स्योढ़ा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 132	68-मि0	हेक्टेयर 0.3140 में से 0.1800	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 242/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	अतर्रा	नांदनमऊ	नांदनमऊ	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 923	724	हेक्टेयर 1.615 में से 0.062	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 243/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम मझीवांसानी, ग्राम पंचायत मझीवांसानी, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	मझीवांसानी	990	0.841 में से 0.135	श्रेणी-6-2 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	570/1478ख	0.271 में से 0.135	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 244/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम लौलीटीकामऊ, ग्राम पंचायत लौलीटीकामऊ, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	बाँदा	बबेरू	लौलीटीकामऊ	645	0.545 में से 0.160	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती	483	0.206 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-4 खलिहान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 243(4)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-5(12) तथा शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2020, राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कहला मजरा हटेटीपुरवा, तहसील व जिला बांदा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 1481/1, रकबा 2.275 हे0 में से 0.305 हे0 पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु पट्टे पर दिये जाने हेतु दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रस्तावित भूमि जिसकी मालियत रु0 4,27,000.00 (चार लाख सत्ताइस हजार रुपये) मात्र एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रु0 383.00 (रु0 तीन सौ तिरासी मात्र) प्रतिवर्ष किराये की दर से तीस वर्ष के लिये पट्टे पर दिये जाने हेतु गांव सभा की भूमि इस शर्त के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पट्टा/पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके पट्टे पर दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बाँदा	कहला	हटेटीपुरवा	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 725	1481/1	हेक्टेयर 2.275 में से 0.305	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कहला की स्थापना हेतु।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, बाँदा।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 6292/सात-भू0सु0/2020–शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत एवं शासनादेश संख्या 68/3-2(6)79 रा0-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकर में लेता हूं। तदुपरान्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08-विविध/2016, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2018 के अनुपालन में गठित समिति की आयोजित बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2020 में लिये गये सर्वसम्मत निर्णय के क्रम में अनुसची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ0नं0-मि0 407, रकबा 1.1210 हे0 में से

5760 वर्गमीटर भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तगत कराया जाय :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	कटेहर	काकलपुर	मि0 407 श्रेणी-5-3-क	हेक्टेयर 5760 वर्गमीटर	आवास एवं शहरी नियोजन, विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माण हेतु)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 784/आठ-04/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59(4)(ग) तथा शासनादेश संख्या 888/एक-1/2004-राजस्व-01, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 व अधिसूचना संख्या प्र0सं0 87/एक-1/2010-5-1-(43)/2009-53, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2017 में दी गयी व्यवस्था के सन्दर्भ में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 590/डी0एल0आर0सी0/2020-21, दिनांक 05 नवम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित 16.575 हे0 भूमि, प्रतिकर की आंगणित धनराशि रु0 83,88,19,313.00 (तिरासी करोड़ अट्ठासी लाख उन्नीस हजार तीन सौ तेरह रुपये मात्र) जमा किये जाने की शर्त के अधीन ग्राम गुलावली, परगना दनकौर, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर की 16.575 हे0 ग्राम सभा भूमि को पुनर्ग्रहीत करते हुये उपरोक्तानुसार प्रतिकर की धनराशि जमा किये जाने की शर्त के अधीन औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला गौतमबुद्धनगर के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	पुनर्ग्रहण का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	दनकौर	गुलावली	गुलावली	103	हेक्टेयर 0.316	नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु
					104	0.595	
					798 M	0.204	
					799	0.177	
					67	0.231	
					68	0.223	
					74	0.730	
					83	0.991	
					86	0.701	

1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	दनकौर	गुलावली	गुलावली	163	0.101	नोएडा के सुनियोजित
					175	0.075	विकास हेतु
					176	0.417	
					177	0.025	
					179	0.063	
					198	0.253	
					535	0.182	
					713	0.053	
					714	0.044	
					725	0.051	
					735	1.116	
					770	0.068	
					774	3.107	
					812	0.693	
					830	0.238	
					898	0.552	
					899	0.220	
					918	0.771	
					925	1.066	
					927	0.329	
					928	0.139	
					955	0.039	
					958	0.093	
					973	0.436	
					980	0.074	
					1002	0.076	
					888 / 1205	0.245	
					894 / 1210	0.137	
					116	0.157	
					132	0.417	
					144	1.364	
					192	0.106	
					योग . .	**16.575**	

सं0 785 / आठ-12 / 2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744 / एक-1 / 2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 1131 / आठ-1-17-08 विविध / 2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(1) / 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7 प 8 (क्रमशः खसरा संख्या / क्षेत्रफल / विवरण) में उल्लिखित ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.2880 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूं तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 714 / सात-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि

रु0 1,72,80,000.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 10,10,000.00 सहित कुल धनराशि रु0 1,83,60,000.00 (एक करोड़ तिरासी लाख साठ हजार रुपये मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 173/0.2880 हे0 (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-क के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करने की शर्त के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	भटजन	भटजन	778	0.0150	नाली	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रीन फील्ड संरेखन हेतु।
					779	0.0170	मुख्य मार्ग	
					801	0.0170	चकमार्ग	
					802	0.0130	नाली	
					820	0.0040	नाली	
					832	0.0230	चकमार्ग	
					834	0.0030	नाली	
					835	0.0040	चकमार्ग	
					1041	0.0400	नाली	
					1051	0.0270	चकमार्ग	
					1056	0.0110	नाली	
					1062	0.0360	चकमार्ग	
					1063	0.0130	चकमार्ग	
					1064	0.0120	नाली	
					1070	0.0180	चकमार्ग	
					1071	0.0110	नाली	
					1240	0.0130	नाली	
					1068	0.0110	नाली	
				योग . .		**0.2880**		

सं0 786/आठ-08/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(1)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7 प 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम भिक्कनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद की 0.9302 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूं तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 672/सात-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि रु0 9,30,26,977.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 58,13,750.00 सहित कुल धनराशि रु0 9,88,40,727.00 (नौ करोड़ अट्ठासी लाख चालीस हजार सात सौ सत्ताईस रुपये मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम भिक्कनपुर, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 104क/0.9302 हे0 (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-

5 के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करने की शर्त के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	गाजियाबाद	जलालाबाद	भिक्कनपुर	भिक्कनपुर	125	0.0094	नाली	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत दुहाई डिपो के निर्माण हेतु।
					126	0.0200	चकमार्ग	
					137	0.0220	चकमार्ग	
					139	0.0500	चकमार्ग	
					141	0.0160	चकमार्ग	
					143	0.0220	नाली	
					155	0.0050	नाली	
					572	0.0590	चकमार्ग	
					577	0.0250	नाली	
					580	0.0920	चकमार्ग	
					585	0.0300	नाली	
					586	0.0026	नाली	
					587	0.0052	चकमार्ग	
					593	0.0290	नाली	
					594	0.4200	रास्ता	
					595	0.0155	नाली	
					596	0.0300	चकमार्ग	
					600	0.0650	नाली	
					613	0.0125	नाली	
				योग . .		**0.9302**		

सं0 787/आठ-11/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(1)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7 प 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम औरंगाबाद फजलगढ़, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.1096 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूं तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 713/सात-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि रु0 65,75,725.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 4,11,000.00 सहित कुल धनराशि रु0 69,87,725.00 (उनहत्तर लाख सत्तासी हजार सात सौ पच्चीस रुपये मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम औरंगाबाद फजलगढ़, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 436-मि0/0.1096 हे0 (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-ङ के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करने की शर्त के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	औरंगाबाद फजलगढ़	औरंगाबाद फजलगढ़	06 07	0.0595 0.0501	चकमार्ग नाली	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रीन फील्ड संरेखन हेतु।
				योग . .		**0.1096**		

सं0 788/आठ-7/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(1)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7 प 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम दुहाई, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद की 0.3285 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूं तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 671/सात-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि रु0 5,42,04,965.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 67,75,313.00 सहित कुल धनराशि रु0 6,09,80,278.00 (छः करोड़ नौ लाख अस्सी हजार दो सौ अठहत्तर रुपये मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम दुहाई, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 1038/0.2280 हे0, खसरा नम्बर 1410/0.1005 हे0 कुल दो किता, कुल रकबा 0.3285 हे0 (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3-5 के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करने की शर्त के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	गाजियाबाद	जलालाबाद	दुहाई	दुहाई	01	0.0100	नाली	दिल्ली-
					03	0.0690	चकमार्ग	गाजियाबाद-मेरठ
					07	0.0130	चकमार्ग	रीजनल रेल
					08	0.0840	नाली	ट्रांजिट सिस्टम
					14	0.0350	नाली	के अन्तर्गत
					17	0.0370	चकमार्ग	दुहाई डिपो के
					18	0.0185	नाली	निर्माण हेतु।
					38	0.0160	नाली	
					44	0.0160	चकमार्ग	
					45	0.0080	नाली	
					53	0.0100	नाली	
					55	0.0120	चकमार्ग	
				योग . .		**0.3285**		

अनीता सी0 मेश्राम,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0—46 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 फरवरी, 2021 ई० (माघ 24, 1942 शक संवत्)

भाग 4

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

वर्ष 2021 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम

दिनांक तथा परीक्षा समय

दिवस तथा दिनांक	समय	विषय तथा प्रश्नपत्र हाईस्कूल	विषय तथा प्रश्नपत्र इण्टरमीडिएट
1	2	3	4
शनिवार 24 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	हिन्दी, प्रारम्भिक हिन्दी	–
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	हिन्दी, सामान्य हिन्दी
सोमवार 26 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	पालि, अरबी, फारसी	संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	संगीत गायन	सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग–1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–षष्टम प्रश्नपत्र (कृषि भाग–2 के लिये)
मंगलवार 27 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	गृहविज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये), गृहविज्ञान (बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होने इसे अनिवार्य विषय के रूप मे नही लिया है)	उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	बहीखाता तथा लेखाशास्त्र (वाणिज्य वर्ग के लिये), भूगोल

1	2	3	4
बुधवार 28 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	चित्रकला, रंजनकला	सैन्य विज्ञान
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	कम्प्यूटर	व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार (वाणिज्य वर्ग के लिये), गृह विज्ञान
बृहस्पतिवार 29 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली	चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्रावैधिक), रंजनकला
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	संगीत वादन	अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल (वाणिज्य वर्ग के लिये)
शुक्रवार 30 अप्रैल, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	अंग्रेजी	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर– प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	कम्प्यूटर, कृषि वनस्पति विज्ञान–द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग–1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र–सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग–2 के लिये)
शनिवार 01 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	वाणिज्य	पालि, अरबी, फारसी
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	सिलाई	अंग्रेजी

1	2	3	4
सोमवार 03 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	सामाजिक विज्ञान	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर–द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	अधिकोषण तत्व–(वाणिज्य वर्ग के लिये) कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान–तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग–1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान–अष्ठम् प्रश्न-पत्र (कृषि भाग–2 के लिये)
मंगलवार 04 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	कृषि	–
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	मानव विज्ञान, रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार), सुरक्षा, आटोमोबाईल्स, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0/हेल्थ केयर	रसायन विज्ञान, इतिहास
बुधवार 05 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	विज्ञान	औद्योगिक संगठन–(वाणिज्य वर्ग के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), मानव विज्ञान कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र–(कृषि भाग–1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान–नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग–2 के लिये)
बृहस्पतिवार 06 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	–	मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	जीव विज्ञान, गणित

1	2	3	4
शनिवार 08 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	संस्कृत	काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार–(वाणिज्य वर्ग के लिये), अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान
सोमवार 10 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	गणित	गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (वाणिज्य वर्ग के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	समाजशास्त्र
मंगलवार 11 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	–	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातुशिल्प (मेटल क्राफ्ट–अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट–नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर–चतुर्थ प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	संस्कृत कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी–पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग–1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान–दशम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग–2 के लिये)

1	2	3	4
बुधवार 12 मई, 2021 ई0	प्रातः 8–00 बजे से 11–15 बजे तक	–	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)(अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)(नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर–पंचम् प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5–15 बजे तक	–	नागरिक शास्त्र

1–प्रश्नपत्रों के क्रम के विषय में परीक्षार्थियों को कोई आश्वासन नही दिया जा सकता।

2–प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिये निर्धारित है।

3–दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से देय होगा।

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 4–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–70 मा0शि0प0–12-02-2021–200 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 फरवरी, 2021 ई० (माघ 24, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, गोरखपुर

01 फरवरी, 2021 ई0

सं0 222/न0आ0/विज्ञा0/न0नि0गो0/2020-21उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के तहत अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्ति जारी किये गये समस्त पूर्ववर्ती नियमो एवं आदेशों का अवक्रमण करते हुये गोरखपुर, नगर निगम में नियमानुसार प्रकाशन कर प्राप्त आपत्तियों और सुझाओं पर विचार करने के पश्चात् मा0 सदन की 15वीं बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में यथा संशोधित पारित संकल्प द्वारा निम्नवत् उपविधि प्रचलित की जाती है :–

गोरखपुर, नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2020

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह विज्ञापनों का विनियम और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा-541 (48) के अन्तर्गत गोरखपुर, नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2020–

1–**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह उपविधि गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2020 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, गोरखपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिषायें**–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[एक] ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है;

[दो] ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है;

[तीन] ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए एवं तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन वाह्य या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

[चार] ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

[पांच] ''पताका'' (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं;

[छः] ''पताका विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो;

[सात] ''समिति'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है;

[आठ] ''निगम'' का तात्पर्य गोरखपुर, नगर निगम से है;

[नौ] ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;

[दस] ''गैन्ट्री विज्ञापन'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है;

[ग्यारह] ''भू-विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

[बारह] ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

[तेरह] ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो;

[चौदह] ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

[पन्द्रह] ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

[सोलह] ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

[सत्रह] ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है;

[अट्ठारह] ''बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है;

[उन्नीस] ''पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है;

[बीस] ''जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है;

[इक्कीस] ''ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए;

[बाइस] ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

[तेइस] ''अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

[चौबीस] ''अनुज्ञा शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 541 की उपधारा (48) के निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है;

[पच्चीस] ''ट्री गार्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है;

[छब्बीस] ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध है उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है;

[सत्ताइस] ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं;

3–**स्थल चयन के लिये समिति का गठन**–(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों के पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिये जोनवार अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/कर निरीक्षक/प्राधिकृत कर्मचारी से स्थलों के चयन/नजरी नक्शा के आधार पर ही विज्ञापन पट्ट के आवंटन की कार्यवाही की जानी उचित पायी गई। गोरखपुर, नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

[एक]	नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त;	अध्यक्ष
[दो]	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
[तीन]	सचिव, गोरखपुर विकास प्रा0	सदस्य
[चार]	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) से सम्बन्धित हो।	सदस्य
[पांच]	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि (जहां स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो।	सदस्य
[छः]	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
[सात]	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवेजन निगम (जहां स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो।	सदस्य
[आठ]	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य/सचिव

टिप्पणी–नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को, जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

(3) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम सें आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेगें। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–**प्रतिषेध**–(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

कोई विज्ञापन किसी भी प्रचलित कानून के उल्लंघन में नहीं प्रदर्शित किया जायेगा इस पर नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट इस नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5–**विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण**–(1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 60,000.00 (साठ हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) धरोहर धनराशि, ''बी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 40,000.00 (चालीस हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये) धरोहर धनराशि, एवं ''सी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(2) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रु0 40,000.00 (चालीस हजार रुपये मात्र), ''बी'' श्रेणी हेतु रु0 30,000.00 (तीस हजार रुपये मात्र) एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रु0 20,000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) होगा।

6–**अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया**–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विहित करने की प्रक्रिया प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रू0 1,000.00 (एक हजार रुपये) का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तुत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी–

[क] प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टयों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

[ख] पूर्ववती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएँ आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

[ग] कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

[घ] गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे–

[क] विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

[ख] नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट;

[ग] भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया ''वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के ''संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव के भाग-4 के अनुसार होगा;

[घ] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संबंधित विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी का दायित्व होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो, तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहे, तो उसे आवेदन के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है, तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

6-क–**अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–**(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि–

[क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो;

[ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी। चौराहों एवं किसी अन्य विशिष्ट व्यावसायिक स्थल पर जहाँ नगर आयुक्त उचित समझे इस दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं।

[ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा;

[घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

[ङ] विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

[च] विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे;

[छ] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

[ज] मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;

[झ] भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे;

[ञ] लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे, जिसके पश्चात् विज्ञापन को हटा देगा;

[ट] विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित शर्तों/निर्देशों का पालन करना होगा।

[ठ] विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा;

[ड] भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओ, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी;

[ढ] विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें;

[ण] समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएं'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

[त] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा;

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

[क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है;

[ख] यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है;

[ग] यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

[घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है; या,

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6-ख–प्रीमियम–(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा। इसके ऊपर अधिकतम तक विज्ञापनकर्ता पर ही छोड़ा गया है।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि अथवा 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7–**अवंटन समिति**–(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

[एक]	नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	सदस्य
[दो]	निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
[तीन]	निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल) का अभियन्ता	सदस्य
[चार]	सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य
[पांच]	प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य/सचिव

टिप्पणी–नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य सहयोजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

(2) [एक] समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी;

[दो] समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 26 के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(8) विज्ञापन (यथा-होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उच्चतम् प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8–**आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार**–नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है; यह कि–

[क] आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

[ख] प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

[ग] तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो,

[घ] प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;

[ङ] प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[च] प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[छ] प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो;

[ज] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो;

[झ] अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त, नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

9–**अनुज्ञा प्रदान करने की रीति**–किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

[एक] सार्वजनिक नीलामी द्वारा

[दो] निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

[तीन] निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण के द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जायेगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो;

[चार] निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन दी जा सकती है;

[पांच] विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम 15 दिनो के अंदर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जायेगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अंदर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

10–**अनुज्ञा की अवधि**–अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से 01 वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

11–**अनुज्ञा का नवीनीकरण**–नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12–**विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति**–(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है–

[एक] इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय; और

[दो] ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13–**विज्ञापन पर निर्बन्धन**–(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

[एक] यह आकार में 12.2 मीटर गुणा 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2 मीटर से कम हो;

[दो] यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

[तीन] यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[चार] समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

[पांच] यह मार्ग के आर-पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो;

[छः] यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

[सात] यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

[आठ] स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

[नौ] जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी–

[एक] ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातातात के पहुँचने या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

[दो] राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहों के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर;

[तीन] किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

[चार] ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

[पांच] किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो;

[छः] ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

[सात] जब इनसे स्थानीय सुविधाये प्रभावित हों।

(3) [एक] निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा;

[दो] सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा;

[तीन] गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके;

[चार] फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाये जा सकेंगे। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे;

[पांच] सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा;

[छः] किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी–

[एक] ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

[दो] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–**छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन**–(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य हैं।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15–**विज्ञापन पटों के प्रकार**–विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) एल0ई0डी0 स्क्रीन

(ग) भू-विज्ञापन (केवल यूनीपोल)

(घ) छत विज्ञापन

(ङ) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(च) दीवार विज्ञापन

(छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(ज) शामियाना विज्ञापन

(झ) आकाशीय विज्ञापन

(ञ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

(ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ठ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ढ) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन

(ण) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्प्लें

(त) गैन्ट्री विज्ञापन

(थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन

(द) फुट ओवर ब्रिज

(ध) प्रचार वाहन

(न) रैन बसेरा पर विज्ञापन

(प) पानी की टंकी पर विज्ञापन

(फ) विद्युत पोल पर क्यास्क

(ब) सांकेतिक पट

(भ) रेलवे/मेट्रो के पिलर्स/दीवार/रेलिंग इत्यादि पर लगने वाली विज्ञापन सामग्री जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में।

(म) विज्ञापन के अन्य कोई भी माध्यम।

(क) **वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन**–[क-1] **वैद्युत विज्ञापन की सामग्री–**जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर विज्ञापन प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[क-2] **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–**प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा 2, विद्युत एवं समवर्गीय के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

[क-3] लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

[क-4] दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊंचाई जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

[क-5] **गहन प्रदीप्ति–**कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन

प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसे कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जायेगा।

[क-6] **परिचालन अवधि**—नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

[क-7] **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला**—कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

[क-8] विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापन के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) भू-विज्ञापन—[ख-1] **सामग्री**—ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[ख-2] **आयाम**—कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

[ख-3] **अवलम्ब और स्थिरक स्थान**—प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

[ख-4] **स्थल सफाई**—किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

[ख-5] **यातायात में अवरोध**—ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

[ख-6] **तल निर्बाधन**—सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

[ख-7] भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन—[ग-1] **सामग्री** : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियों अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेगी।

[ग-2] **अवस्थिति**—(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

[ग-3] **क्षेपण (प्रोजेक्शन)**–कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

[ग-4] **अवलम्ब और स्थिरक**–प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

[ग-5] विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापन हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

[ग-6] चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम 16 समस्त विज्ञापन हेतु सामान्य अपेक्षाएं के अनुरूप होंगे।

[ग-7] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा विज्ञापन–[घ-1] **सामग्री**–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[घ-2] **आयाम**–कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

[घ-3] **संरेखण**–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

[घ-4] **स्थान**–बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा छत की ओर के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

[घ-5] **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई**–किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़ंजा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

[घ-6] **प्रक्षेपण**–घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ङ) दीवार विज्ञापन–प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

[क] प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

[ख] नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें–[च-1] **सामग्री**–प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

[च-2] **प्रक्षेपण एवं ऊँचाई**–कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होगा। जहॉ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

[च-3] **अवलम्ब एवं संलग्नक**–प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आदि युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

[च-4] **अतिरिक्त भार**–ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

(छ) शामियाना विज्ञापन पट्टिका–[छ-1] **सामग्री**–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाऍ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

[छ-2] **ऊँचाई**–ऐसी विज्ञापन पट्टिकाऍ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

[छ-3] **लम्बाई**–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाऍ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिकायें–आकाश विज्ञापन पट्टिका–आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिकायें–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ–सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

[झ-1] **प्रकार**–झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये गये या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

[झ-2] **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता**–

(एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुॅचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय

यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका**–पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं**–किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जायं या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।

(छः) **अधिकतम आकार** : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) **प्रक्षेपण**–कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढेंगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हं पट्टिकाऍं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति**–भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जाये, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी–मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जायेगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

16–सभी विज्ञापन-पटों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षा–

(1) **भार**–विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) **प्रदीप्ति**–कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएँ खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नही की जायेंगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान–**

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नही आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ड.) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हे दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुंचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नही लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग–

(एक) **सजावटी विषिष्टता**–ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विषिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक**–विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नही होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण–

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुंचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) अनुज्ञा-पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन–

अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17–दुकानों पर विज्ञापन–

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के वगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि सामाग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधी से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नही होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(1) **मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन–**

(एक) **अभिकल्प**–विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नही होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन–**

अभिकल्प–बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन**–नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क**–नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एव ऊंचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ**–नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एंव उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित

पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के विकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञपन पट का अधिकतम आकार 0.45 मी0 गुणा 0.75 मी0 होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री-गार्ड)**–नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौडें डिवाईडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड्स (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)**– नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2. 5 मीटर से कम नही होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19–छूट–

(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट**–नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट**–किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित

कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होने चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट**–किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) **नाम पट्ट**–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) **अस्थाई विज्ञापन पट्ट**–

(एक) **निर्माण स्थल संकेत**–निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेत**–अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नही है। (नियम–15 झ(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

20–विशेष विज्ञापन–

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई या विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नही है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21–विशेष नियंत्रण क्षेत्र–

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र मे नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा ''ज्वैलर्स'' ''कैफे'' ''डांसिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

22–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

23–झण्डियों पर रोक–

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है।

24–अनुरक्षण और निरीक्षण–

(1) **अनुरक्षण**–सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हे अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग–रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण**–प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत हों या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(1) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, तो हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(3) जहां तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की और सम्यक ध्यान दिया जायेगा।

26–भुगतान की रीति–

अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किस्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित /संप्रदर्शित नही किया

जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो, अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

27–क्षेत्रों का वर्गीकरण–

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(तीन) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र

(चार) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र

(पॉच) ''स'' श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) **निजी भूमि भवन एव सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र–**

(1) गोरखनाथ मन्दिर के आस पास, विश्वविद्यालय रोड आर0टी0ओ0 तिराहा से विश्वविद्यालय गेट तक, सर्किट हाउस रोड।

(ख) **स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनिपोल हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र–**

(1) जिलाधिकारी आवास, आयुक्त आवास तथा कार्यालय आयुक्त एव कार्यालय नगर निगम परिसर।

(2) शहर के समस्त मुख्य चौराहे एव मुख्य चौराहों से चारों ओर 30 मीटर तक।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।

(4) नगर आयुक्त वी0वी0आई0पी0 मूवमेन्ट यातायात सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल/उपरगामी सेतु हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अधिकृत ह्येंगे।

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र–शास्त्री चौक, बी0एस0एन0एल0 आफिस, रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से पुराना मालगोदाम, टाउनहाल कचहरी चौराहा से कचहरी क्लब, चेतना तिराहा, शास्त्री चौकी से कलेक्ट्री कचहरी चौक, बेतियाहाता चौक एवं आस-पास शहीद पार्क से इलाहाबाद बैंक, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, नर्सेज हास्टल व आस-पास, अग्रसेन चौराहा से बैंक रोड, विजय चौक, हरिओम नगर तिराहा से जी0डी0ए0 टावर तक।

(तीन) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र–काली मन्दिर तिराहा से पुलिस लाइन दीवार पूर्वी तरफ यातायात कार्यालय तक, यातायात कार्यालय से धर्मशाला पुल तक, अम्बेडकर चौक से शास्त्री चौक, रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से भर्ती बोर्ड तिराहा, मोहद्दीपुर चौराहा से पैडलेगंज तिराहा व आस-पास, अम्बेडकर चौक से हरिओम नगर तिराहा, काली मन्दिर तिराहा से पुलिस लाइन दीवार पश्चिम तरफ, शास्त्री चौक से घोष कम्पनी चौक होते हुये महिला चिकित्सालय,

हरिओम नगर तिराहा से आर0टी0ओ0 तिराहा व आस-पास युनिवर्सिटी चौराहा से गणेश चौराहा, रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से युनिवर्सिटी चौराहा, कार्मल तिराहा से रेलवे बस स्टेशन तिराहा, काली मन्दिर से धर्मशाला पुल तक।

(चार) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र–धर्मशाला बाजार से गोरखनाथ पुल तक, जुबिली स्कूल रोड से कृष्णा चौक, युनिवर्सिटी चौराहा से रेलवे म्युजियम, रेलवे म्युजियम से मोहद्दीपुर चौक, मोहद्दीपुर चौक से गुरूंग तिराहा, पैडलेगंज तिराहा से छात्रसंघ चौराहा, धर्मशाला पुल से असुरन चौक, अम्बेडकर चौक से रूस्तमपुर ढ़ाला, पैडलेगंज तिराहा से नेशनल हाइवे होते हुसे अमर उजाला कार्यालय तिराहा, अमर उजाला कार्यालय तिराहा से रूस्तमपुर ढाला, टी0डी0एम0 तिराहा से अलहदादपुर होते हुये बेतियाहाता चौक, बेतियाहाता चौक से कैन्ट चौक होते हुये छात्रसंघ चौक, छात्रसंघ चौराहा से अम्बेडकर चौक।

(पांच) ''स'' श्रेणी क्षेत्र–गोरखनाथ पुल से महेसरा तक, पादरी बाजार चौक से बड़ी जेल के पीछे की रोड, पादरी बाजार चौक से खजान्ची चौक, असुरन चौक से पादरी बाजार चौक, गुरूंग तिराहा से इंजीनियरिंग कालेज, महेवा चौक से प्रेमचन्द पार्क होते हुये टी0डी0एम0 तिराहा महेवा चौक से नार्मल होते हुये टी0डी0एम0 तिराहा, नौसढ़ तिराहा से लखनऊ रोड व खजनी रोड, महेवा चौक से नौसढ़ तिराहा बनारस रोड, अमर उजाला कार्यालय तिराहा से तारामण्डल रोड, गुरूंग तिराहा से कसया रोड, एयरफोर्स चौकी, असुरन चौक से मेडिकल रोड, हड़हवा फाटक से एच0एन0 सिंह चौक बशारतपुर कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गो को छोड़कर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नही है (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

28–हटाये जाने की लागत–नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

(क) 6.1 गुणा 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या रु0 10,000.00 विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक लागत–

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या रु0 15,000.00 विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन पट्ट को हटाने की लगात–

(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ रु0 5,000.00 करने की लगात–

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु0 30,000.00।

29–अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रमाण–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो 10,000.00 (दस हजार) रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो 600.00 (छः सौ) रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन–उपविधि में अन्य बातों के होते हुये भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगी/होगा।

पत्रांक संख्या.....

मूल्य रु0 1,000.00

अनुसूची–1

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

1– आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....

2– अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....

3– पता.....

4– आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार.....

5– विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार (ल0×चौ0 मी0 में).....

6– स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....

7– भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम.....

8– क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?.....

9– (एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामि की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आ0वि0 परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्राप्त करना सम्बधित का दायित्व होगा।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धित रिपोर्ट।

10– (एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क

(दो) किस्त की धनराशि

11– देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क.....

12– कोई अन्य विवरण.....

संलग्नक–.....

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाईल नं0

अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1 निगम द्वारा स्वामित्वाधीन ..... भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,880.00 (दो हजार आठ सौ अस्सी) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,160.00 (दो हजार एक सौ साठ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,800.00 (एक हजार आठ सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,440.00 (एक हजार चार सौ चालीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2 एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट्ट–

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,500.00 (चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,600.00 (तीन हजार छः सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,700.00 (दो हजार सात सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,800.00 (एक हजार आठ सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3 विद्युत पोल/ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट्ट–

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,500.00 (चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,600.00 (तीन हजार छः सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,700.00 (दो हजार सात सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,800.00 (एक हजार आठ सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4 बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 5,400.00 (पांच हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,500.00 (चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,600.00 (तीन हजार छः सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,700.00 (दो हजार सात सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5 (1) एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से सुचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम सं0 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरो पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) ट्यूबलाइट, एल0ई0डी0 लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 75 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6 (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन छोड़कर)

(एक) हल्का वाहन : रु0 10,000.00 (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(दो) भारी वाहन : रू0 40,000.00 (चालीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–

(एक) तीन पहिया : रु0 300.00 (तीन सौ) प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) प्रति दिन

7	पोस्टर	:	रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति सैकड़ा
8	पर्चा (हैण्ड बिल)	:	रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति हजार
9	पताका (बैनर)	:	रु0 300.00 (तीन सौ) प्रति बैनर
10	गुब्बारे	:	रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रतिदिन
11	छतरी (कैनोपी)	:	रु0 500.00 (पांच सौ) प्रतिदिन
12	आटो रिक्शा थ्री–व्हीलर	:	रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो
13	बसों पर	:	रु0 4,000.00 (चार हजार) प्रतिवर्ष प्रति वर्गमीटर

14 दीवालों पर वॉल राइटिंग–विज्ञापन लाईसेन्स शुल्क की दर मद संख्या-1 के अनुसार

15 रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग, जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची–2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक–1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

16 उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का विज्ञापन लाईसेन्स शुल्क मद संख्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।

17 ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु0 200.00 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन।

18 जिन मदों का उल्लेख ऊपर नही किया गया है, उनका विज्ञापन लाईसेन्स शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

19 निजी भूमि/भवन स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबन्धनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्राप्त करना सम्बन्धित का दायित्व होगा।

20 इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी।

21 अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय होगा।

स्पष्टीकरण–

1– यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।

2– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/शासन/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग/नगर निगम/लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए यदि नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा विज्ञापन लगाये जाने का निर्देश दिये जाने पर जितने दिवस विज्ञापन प्रदर्शित होगा, उतने दिवस के प्रचार-प्रसार का समायोजन किया जायेगा। राजनैतिक विज्ञापन इसमें सम्मिलित नही होगा।

3– अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष (देयता) अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

अंजनी कुमार सिंह,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।

कार्यालय, नगर निगम, अयोध्या

03 मार्च, 2020 ई0

सं0 2659/न0नि0 अयो0 फै0/2020–एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, अयोध्या के सदन की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या 8 में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर निगम, अयोध्या द्वारा बनायी गयी नगर निगम, अयोध्या (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2019 को आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। सम्पूर्ण उपविधि नगर निगम, अयोध्या के विविध कर अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 20 मार्च, 2020 तक निःशुल्क देखी जा सकती है या रु0 500.00 शुल्क जमा कर सम्पूर्ण उपविधि की छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है। उपविधि का प्रारूप नगर निगम की बेवसाइड www.nagarnigamayodhya.in पर भी अपलोड है व यह वहां पर देखा जा सकता है। उपविधि के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित से इस सूचना के गजट प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। एक माह के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, अयोध्या।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मिलक, जनपद रामपुर

09 अक्टूबर, 2020 ई0

संख्या 656/मु0क0-उपविधि-04/2019–नगर पालिका परिषद् मिलक ने अपने विशेष संकल्प सं0 05 दिनांक 07-03-2020 द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची–एक के खण्ड क(घ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित ''मानचित्रक'' (ड्राफ्टमैन) लाइसेन्स विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार पत्र ''स्वतन्त्र भारत'' सत्ता के दिनांक 05 जनवरी 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी, अतः नगरपालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

मानचित्रक (ड्राफ्टमैन) लाइसेन्स उपविधियां–

01–शीर्ष प्रारम्भ एवं विस्तार–

(1) यह उपविधियां नगर पालिका परिषद, मिलक, जिला रामपुर मानचित्रक (ड्राफ्टमैन) लाइसेन्स उपविधियां, 2019 कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगर पालिका परिषद, मिलक के सीमाक्षेत्र में लागू होगी।

02–परिभाषाऐं जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन उपविधियों में–

(1) नगर पालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, मिलक से है।

(2) वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(3) लाईसेन्स अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है।

03–कोई व्यक्ति जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट उत्तीर्ण की योग्यता रखता हो, वह नगरपालिका में मानचित्रक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा।

04–नगरपालिका से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति को आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला मानचित्र लाइसेन्स धारी मानचित्रक द्वारा भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

05–लाईसेन्स 31 मार्च तक की अवधि के लिए जारी किया जायेगा। लाइसेन्स का नवीकरण कराने के लिये आवेदन माह मार्च में प्रस्तुत करना होगा।

06–नया लाईसेन्स या लाइसेन्स–नवीकरण के लिये शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार) वार्षिक की दर से देय होगी।

07–प्रत्येक मानचित्र पर मानचित्रक के हस्ताक्षर लाइसेंस का नम्बर तथा दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर होगें।

08–मानचित्रक द्वारा तैयार मानचित्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने या लाईसेन्स अधिकारी की राय में लाईसेन्स धारक मानचित्रक आयोग्य सिद्ध हो या मानचित्रक द्वारा इन उपविधियों में भेद शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना सिद्ध होता है तो लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में लाईसेन्स शुल्क वापस नही की जायेगी।

09–मानचित्रक यह अवधि निश्चित करेगा कि जिसके भीतर वह किसी व्यक्ति को मानचित्र तैयार करके दे देगा और ऐसी अवधि निश्चित करने का वचन लिखित में मानचित्रक तैयार करने वाले व्यक्ति को देगा।

10–यह शिकायत मिलने पर कि मानचित्रक ने किसी व्यक्ति को निश्चित अवधि के भीतर मानचित्र तैयार करके नही दिया है, लाइसेन्स (जब्त) निलम्बित कर दिया जायेगा जब तक की लाइसेन्स अधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि विलम्ब अपरिहार्य कारणों से हुआ है।

11–लाइसेन्स अधिकारी के लाईसेन्स न देने या लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील नगरपालिका अध्यक्ष को आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

12–मानचित्रक ऐलीवेशन, सेक्शन आदि सहित मानचित्र 03 प्रतियों में तैयार करने के लिए नियमानुसार अधिकतम शुल्क ले सकता है।

(1) विद्यमान भवन या प्रस्तावित भवन के प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल पर 0.30 पैसे प्रति वर्ग फिट

(2) दीवार, अहाता या खुली भूमि या खुली छत के प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल पर रू0 15 पैसे प्रति वर्ग फिट

टिप्पणी–(एक) इन दरो में ट्रेसिंग क्लाथ का मूल्य शामिल नही है उसे आवेदक द्वारा अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

टिप्पणी–(दो) उपविधि सं0 06 मानचित्रक शुल्क और उपविधि सं0 12 की दरों में नगर पालिका समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

13–आवेदक और मानचित्रक के बीच शुल्क वसूलने के बारे में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लाइसेन्स अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14–कोई आवेदन या मानचित्र नगरपालिका कार्यालय में मानचित्रक के माध्यम से प्राप्त नही किया जायेगा।

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, मिलक,
जनपद रामपुर।

संख्या 657/मु0क0-उपविधि-03/2019–नगर पालिका परिषद, मिलक ने अपने विशेष संकल्प सं0 04 दिनांक 07.03.2020 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची–एक के खण्ड ञ(घ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित व्यवसाय विनियम विषयक उपविधियां बनाई है। जिन्हें आपत्ति आमंन्त्रण हेतु साप्ताहिक समाचार पत्र ''स्वतन्त्र भारत सत्ता'' के दिनांक 05 जनवरी 2020 के अंक में प्रकाशित कराकर 15 दिन के भीतर आपत्ति आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी अतः नगर पालिका बोर्ड द्वारा उपविधियों का गजट कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतैव यथा संकल्पित उपविधियां उक्त अधिनियम की धारा 301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है।

व्यवसाय विनियमन उपविधियां

01–शीर्ष, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह उपविधियां नगरपालिका परिषद, मिलक, जिला रामपुर व्यवसाय विनियमन उपविधियां, 2019 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद, मिलक क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

02–परिभाषायें–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन उपविधियों में–

(क) ''व्यवसाय'' का तात्पर्य संलग्न अनुसूची में वर्णित व्यवसाय से है।

(ख) ''व्यवसायकर्ता'' का तात्पर्य किसी व्यवसाय के स्वामी, फर्म, संस्था, समिति या कम्पनी से है, जो व्यवसाय को एकल या संयुक्त रूप में स्थापित या संचालित करें और इसमें व्यवसाय का प्रबन्धक या प्रभारी व्यक्ति भी शामिल है।

(ग) ''लाइसेन्स अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मिलक के अधिशासी अधिकारी से है

03–व्यवसायकर्ता व्यवसाय स्थापित करने या पूर्व में स्थापित व्यवसाय को संचालित रखने के लिये लाइसेन्स अधिकारी को संलग्न प्रपत्र परिशिष्ठ-एक में आवेदन-पत्र देकर और निर्धारित लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करके लाइसेन्स प्राप्त करेगा। नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र माह मार्च में देना अनिवार्य होगा।

04–लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च तक के लिये होगी और प्रत्येक व्यवसाय स्थल के लिये अलग अलग लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

05–नया लाइसेन्स या लाइसेन्स नवीनीकरण के लिये शुल्क संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दर से लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष में एक अक्टूबर के बाद स्थापित नया व्यासाय के लिये शुल्क आधा लिया जायेगा।

06–व्यवसायकर्ता लाइसेन्स धारी को व्यवसाय बन्द करने या उसके स्वामित्व परिवर्तन या स्थान परिवर्तन की सूचना लाइसेन्स अधिकारी को 15 दिन के भीतर देना अनिवार्य होगा।

07–लाइसेन्स अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित व्यवसायों का सर्वेक्षण कराकर संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट दो में सूची तैयार करायेगें और प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में व्यवसायों की पुनरीक्षित सूची तैयार की जायेगी।

08–लाइसेन्स जारी करने और उसका लेखा रखने के लिये उ0प्र0 नगर पालिका लेखा नियमावली के प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेगें।

09–अनुसूची में वर्णित कोई वाहन जो लाइसेन्स प्राप्त किये बिना व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संचालित पाया जाये उसे लाइसेन्स अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसा वाहन देय लाईसेन्स शुल्क तुरन्त भुगतान कर दिये जाने पर छोड़ दिया जायेगा अन्यथा उसके बाद एक माह तक की अवधि तक देय शुल्क और रोके रखने का व्यय भुगतान के बाद वापिस दिया जा सकेगा, तत्पश्चात् सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जायेगा उसके बाद कोई दावा मान्य नही होगा और विक्रय से प्राप्त धनराशि नगर पालिका सम्पत्ति हो जायेगी तथा नगर पालिका कोष में जमा करा दी जायेगी।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद यह निर्देश देती है कि इन उपविधियों का भंग किया जाना जुर्माना से दण्डनीय होगा जो एक हजार रू0 तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किये जाये तो अग्रतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रूपये तक हो सकता है।

अनुसूची

(उपविधि संख्या–2 तथा 5 देखें)

क्र0सं0	नाम व्यवसाय	वार्षिक लाईसेन्स शुल्क की दर
1	2	3
		रु0
01	होटल लॉजिंग तथा गेस्ट हाऊस तथा बारातघर	667.00
02	तीन सितारा होटल	6,000.00
03	पंच सितारा होटल	8,000.00
04	नर्सिग होम (20 बेड तक)	1,334.00
05	नर्सिग होम (20 बेड से ऊपर)	3,334.00
06	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,667.00
07	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	3,334.00
08	प्राइवेट अस्पताल	3,334.00

1	2	3
		रु0
09	पैथोलॉजी सेन्टर	667.00
10	एक्सरे क्लीनिक	1,334.00
11	डेन्टल क्लीनिक	2,667.00
12	प्राईवेट क्लीनिक	2,000.00
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	240.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	480.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	334.00
16	मिनी	1,000.00
17	बस	1,667.00
18	तांगा	34.00
19	रिक्शा (किराया पर)	100.00
20	रिक्शा (निजी चलित)	50.00
21	ठेला, ठेली	67.00
22	हाथ ठेला	17.00
23	बैलगाडी, भैसा गाडी	17.00
24	ट्रॉली	100.00
25	फाइनेंस कम्पनी, चिटफण्ड	400.00
26	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	5,000.00
27	पशुवंध शाला (स्लाटर हाउस)	17.00
28	हड्डी खाल गोदाम	667.00
29	बार/बियर सॉप	4,000.00
30	आईस फैक्ट्री	67.00
31	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	3,334.00
32	देशी शराब (प्रति दुकान)	4,000.00
33	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	8,000.00
34	भैसा मांस दुकान	200.00
35	बकरा मांस दुकान	400.00

परिशिष्ट–एक

(उपविधि संख्या–3 देखे)
व्यवसाय लाइसेन्स आवेदन-पत्र

सेवा में,

लाइसेन्स अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मिलक

कृपया मुझे निम्नलिखित व्यवसाय के स्थापित/संचालित रखने हेतु–

वर्ष ..... के लिये लाइसेन्स जारी करने का कष्ट करें।

गत वर्ष ..... का लाईसेन्स सं0 ..... है निर्धारित शुल्क जमा कराने की कृपा करें।

व्यवसाय का स्थान ..... मोहल्ला/सड़क का नाम .....

भवन संख्या या वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या .....

व्यवसायकर्ता का नाम/पिता का नाम तथा पता .....

स्वामी/फर्म आदि का नाम .....

व्यवसाय का नाम .....

व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि .....

कार्यालय संख्या.....दिनांक.....

ह0/नाम/पता
आवेदनकर्ता

परिशिष्ट-दो

(उपविधि संख्या-7 देखें)
व्यवसाय सर्वेक्षण सूची
नगरपालिका परिषद, मिलक

01 क्रम संख्या
02 मोहल्ला/सड़क का नाम
03 भवन संख्या या वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या
04 व्यवसायकर्ता का नाम/पिता का नाम/पता
05 स्वामी/फर्म आदि का नाम
06 व्यवसाय का नाम
07 व्यवसाय आरम्भ करने की तिथि
08 वार्षिक लाइसेन्स शुल्क की दर
09 देय लाइसेन्स शुल्क
10 हस्ताक्षर सर्वेक्षणकर्ता
11 जारी किये गये लाइसेन्स का नम्बर व दिनांक
12 अभ्युक्ति

केतकी देवी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, मिलक,
जनपद रामपुर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर (गाजियाबाद)

26 जुलाई, 2017 ई0

सं0 71/न0पा0/क0वि0/2017—के माध्यम से नगरपालिका अधिनियम, 1916 यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1916 की धारा 131(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर (जनपद गाजियाबाद) ने नगरपालिका की सीमान्तर्गत स्थित भवनों से नगरीय ठोस अपषिट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़ा उठाने हेतु यूजर चार्जेज उपविधि तैयार की गयी है, जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभारी व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर को अवगत करा सके।

समस्त नगरवासियों व प्रभावी व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाषन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर कार्यालय को प्राप्त कराये, जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि के पष्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के संबंधित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''विधान केसरी'' व ''दैनिक युग करवट, मोदीनगर'' में दिनांक 27 जुलाई, 2017 को प्रकाशित कर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। मा0 बोर्ड के प्रस्ताव सं0 18(27) दिनांक 22 जनवरी, 2018 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

प्रस्तावित यूजर चार्जेज उपविधि, 2017

1—(1) उपविधि नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर (गाजियाबाद), यूजर चार्जेज उपविधि, 2017 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवत्त होगी।

2—परिभाषाये—

(क) ''नगर पालिका परिषद्'' नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर (गाजियाबाद) से है।

(ख) ''यूजर चार्जेज क्षेत्र'' यूजर चार्जेज क्षेत्र से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर, की सीमा से है व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरुप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।

3—''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर (गाजियाबाद) से है।

4—''प्राधिकृत अधिकारी'' प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर (गाजियाबाद) के उन अधिकारियों से है जिसे अधिशासी अधिकारी समय-समय पर इन उपविधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करे।

5—''यूजर चार्जेज शुल्क'' यूजर चार्जेज शुल्क का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर की सीमा में अधिशासी अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर की किन्हीं सेवाओं/संसाधनों के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

6—यूजर चार्ज इस शुल्क उपविधि के नियम 12 के अन्तर्गत दर्शायी गयी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

7—यूजर चार्ज नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद कोई शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा। रसीद में दिनांक, मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतानकर्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखे और नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देंगे। पालिका परिषद् के कर्मचारियों द्वारा लिया गया शुल्क अपने कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर जमा किया जायेगा जिसकी चेकिंग समय-समय पर अधिशासी अधिकारी/उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखाकार द्वारा किया जाया करेगी।

8—पालिका प्रत्येक कालोनी में कंटेनर उपलब्ध करायेगी।

9—भवन स्वामी अपने भवन का कूडा कंटेनर में डालेगा।

10—यूजर चार्ज आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कंटेनर से कूडा उठाने की व्यवस्था के लिये वसूल किया जायेगा।

11—यूजर चार्जेज भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 10 से 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

12—वह वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के घर में आवासित हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रुप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारीजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको यूजर चार्ज से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। नगर मे जिस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी उसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर वसूली/निःशुल्क करने हेतु पालिका बोर्ड को निर्णय करने का अधिकार होगा।

13—नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर की सेवाओं/संशोधनों के प्रयोग के लिये निर्धारित यूजर चार्ज।

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने की व्यवस्था

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	10.00
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	20.00
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	30.00
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	30.00
श्रेणी ड.	यात्री धर्मशालाये	मुक्त
अनावासीय/व्यवासायिक		
श्रेणी क	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	20.00
श्रेणी ख	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	30.00
श्रेणी ग	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्राये तक	20.00
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्राये तक	30.00
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्राये	40.00
श्रेणी घ	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमैन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं के हास्टल	100.00
श्रेणी ड.	बैंक कार्यालय, एल.आई.सी. कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक	100.00
श्रेणी च	मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट होटल 10 कमरों से अधिक	500.00

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर निश्चय करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दंण्डनीय अपराध होगा जो रुपये 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति दिन अर्थ दण्ड लिया जायेगा।

अनुज कौशिक,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
मोदीनगर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

04 जून, 2019 ई0

संख्या 138/न0पा0प0मो0/2019—नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर (जनपद गाजियाबाद) ने सीमान्तर्गत विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली हेतु शासनादेश संख्या 433/नौ-9-14-277ज/11 लखनऊ दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची की शीर्षक (ज) की उप शीर्षक (च) के अधीन विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली सम्बन्धी नियमावली बनायी गयी हैं, जिसे नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर की बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2017 को प्रस्ताव सं0-12 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है एवं बोर्ड बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2018 बोर्ड प्रस्ताव सं0 18(27) में अनुमोदित/स्वीकृत किया गया, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली नियमावली, 2017

1—**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—**(1) उपविधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद), विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली नियमावली 2017 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में लागू होगी।

2—परिभाषाये—(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में —

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है,

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे (संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हों;

(चार) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है,

(पाँच) ''गुब्बारा''—का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा से लहरा रहा हो।

(छः) ''पताका'' (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकतें है।

(सात) ''पताका विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो।

(आठ) ''नगर पालिका'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर से है।

(नौ) ''विद्युतीय विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते है।

(दस) ''भू—विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित है और जनता के लिए दृश्य हो।

(ग्यारह) ''प्रदीप्त विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(बारह) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो।

(तेरह) ''प्रक्षेपित विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे एक फुट से अधिक बाहर की ओर हों।

(चौदह) ''मार्गाधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(पन्द्रह) ''छत'' विज्ञापन का तात्पर्य सड़क से ऐसे विज्ञापन हैं जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हों जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(सोलह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

(सत्रह) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(अठारह) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (7) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।

(उन्नीस) ''अस्थायी'' विज्ञापन का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाछित किसी विज्ञापन,झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(बीस) ''बराण्डा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से हैं,

(इक्कीस) ''सचल विज्ञापन'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

3–स्थल चयन के लिये समिति का गठन–

(1) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिए और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊचाँई और पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगर पालिका में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति का गठन निम्नप्रकार होगाः–

(एक) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर	**अध्यक्ष**
(दो) कर अधीक्षक, नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर	**सदस्य/सचिव**
(तीन) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित प्राधिकारी	**सदस्य**
(चार) परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	**सदस्य**
(पाँच) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	**सदस्य**
(छः) नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	**सदस्य**
(सात) परिवहन विभाग का एक अधिकारी	**सदस्य**
(आठ) सचिव, विकास प्राधिकरण/विनियम क्षेत्र का अधिकारी	**सदस्य**
(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	**सदस्य**
(दस) राजस्व निरीक्षक नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर	**सदस्य**
(ग्यारह) अवर अभियन्ता (सिविल) नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर	**सदस्य**

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों से विज्ञापन कर निर्धारण समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करनें के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबध में नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टो की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिशेध–

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक नगर प्राचीर बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन पर परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित न सम्प्रदर्शित न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित, करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 16 के अधीन यथा विर्निदिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करके नगर पालिका परिषद् के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, या सम्बन्धित निकाय के बेबसाइट में डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगया जाना, चिपकाना जाना, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः–

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊचाँई और भार को दर्शाते हुये पूर्ण विशिष्टियाँ, अवस्थिति जहॉ इसे विनिर्मित किया जाना है विनिर्माणकर्ता का नाम और पता और जहाँ प्रयोज्य हो वहां प्रकाश पुंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थिति मानचित्र से संलग्न होगा।

(ख) पूर्ववर्ती के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामलें में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा आपेक्षित हों।

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामलें में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा –

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट। आवेदन आवश्यक चित्रों और संरचना संगणनाओं सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग – 4 संरचना अभिकल्प धारा – 1 भार, बल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण ओर उनके समुचित रखरखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6–अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें–

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जायेगी कि –

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस उपविधि के अनुसार सदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा समुदभृत किया जायेगा चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नही होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 6 मीटर जो भी अधिक हो, से कम नही होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नही होगी।

(ड़) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेगें।

(ज) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिये स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नही डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदी, जनपद गाजियाबाद को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नही होना चाहिए।

(ठ) भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालय शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नही होगी।

(ड) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़–पौधों में गाड़ा बाँधा नही जायेगा।

(2) अधिषासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है ।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाषा का व्यवधान सम्मिलित है।

(ड) यदि ऐसा भवन या संरचना जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरूद्ध हो भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम–

(1) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद प्रत्येक स्थल के लिये न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

8–आवंटन समिति–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की अध्यक्षता में निकाय में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें –

(एक) अध्यक्ष कर समिति, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर –सदस्य

(दो) निकाय से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अवर अभियन्ता –सदस्य

(तीन) निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक –सदस्य सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्र निविदाओं, प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) देय कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(5) विज्ञापन कर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद का अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना आदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी है।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग के छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री गार्ड या चाहरदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार–

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अपशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्ति जनक प्रकृति का या नगर पालिका परिषद् के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु समपित प्रकृति का हो या ऐसे स्थानपर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिये क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट विज्ञापन कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने प्रदर्षित करने, संप्रदर्षित करने लगाने, चिपकानें, लिखने, करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिषासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा –

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

11–अनुज्ञा की अवधि –

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की षक्ति–

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात हेतु संचालन

हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैः–

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसी उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था, या लटकाया गया था के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगर पालिका द्वारा संबन्धित विभाग को आन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन–

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, लगाया नही जायेगा, चिपकाया नही जायेगा, लिखा नही जायेगा, चित्रित नही किया जायेगा या लटकाया नही जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12.2मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नियम–3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त होः

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हों,,

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्व क्षेत्र के भीतर पड़ता हो–

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टो को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जायेगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुॅचने, संबिलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में वाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के दॉयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के आदेशों के लिये अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित, किसी साईन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियत्रंण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टो, भित्ति, पत्रकों, वस्त्र – झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हो,

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय सुबिधायें प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय ताप, मौसम, या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन, क्रिया में विध्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धक–

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य

(2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुये, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई ऐसे भवन की ऊंचाई की एक–तिहाई से अधिक नही होगी।

15–विज्ञापन पट्टों के प्रकार–

विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के होगें–

(क) विद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन, **(ख)** भू–विज्ञापन, **(ग)** छत विज्ञापन, **(घ)** बरामदा विज्ञापन, **(ड़)** दीवार विज्ञापन, **(च)** प्रक्षिप्त विज्ञापन, **(छ)** विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन, **(ज)** आकाशीय विज्ञापन, **(झ)** पताका/झण्डी विज्ञापन, **(ञ)** शमियाना विज्ञापन, **(ट)** गुब्बारा विज्ञापन, **(ठ)** अस्थायी विज्ञापन, **(ड)** सचल (मोबाइल) विज्ञापन, **(ढ)** विविध विज्ञापन

16–दुकानों पर विज्ञापन

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर स्टीकर चस्पा करके, पेटिंग, लेखन द्वारा किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम वस्तुओं या समानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जायें तो उन्हें विज्ञापन नही माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन करादेय नही होगा।

(ख) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन करादेय होगा।

17–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोडकर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुये निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगीः–

(1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन

(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर विज्ञापन

(4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड,

(5) मैदानों/पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां

(6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स (Flower Pot Stands)

18–छूट–

(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टो पर लागू नही होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान, या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखें किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पॉच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन, या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार ओमनीवस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबन्धित हो परन्तु यह 1.2 मीटर^2 से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश

(आठ) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट

19–अस्थायी विज्ञापन–

(1) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तो पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकतें हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

20–विशेष नियंत्रण का क्षेत्र–

(1) जब अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुॅचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हों तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के कर सकता है। पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकत है।

(2) उप नियम (1) उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निष्द्धि किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा आवश्यक समझा जाये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद निकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमत हो, स्वामी फर्म के नाम तक सीमित होगी जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स, कैफे, डांसिग भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है। या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की सूचना हो सकती है किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उपनियम (3) में दिये गये के सिवाय समयान्तयः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही होगा।

21–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–

नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

22–झण्डियों पर रोक–

(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नही होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकते हैं और उसे समपहृत या विनिष्ट कर सकता है।

23–अनुरक्षण और निरीक्षण–

(1) **अनुरक्षण–**सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा आपेक्षित है अवलम्बों, बंधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टि कोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होगें तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग रोगन किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था–**प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तर दायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके (घेरे) गये परिसर में सफाई, स्वछता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण–**प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

24–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण खोज, पर्यवेक्षण माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ ये उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है परन्तु

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नही किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला यदि कोई हो को हट सकने के लिये पर्यन्त के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

25–कर के भुगतान की रीति–

अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किस्त में संदेय होगा और जब तक पूर्ण धनराषि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जायेगा।

26–क्षेत्रों का वर्गीकरण–

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा

27–विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत–

नियम 10 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत नगर पालिका द्वारा नियत की जायेगी।

28–अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ, रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशंमित किया जा सकता है।

अनुसूची–1 (नियम 5 (1) देखें)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

प्रपत्र सं0 ..... मूल्य रू0 ...../.....

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1 आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम .....

2 अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम .....

3 पता .....मो0 नं0.....

4 आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार .....

5 विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार .....

6 स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति .....

7 भूमि भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम व पता.....मो0 नं0 .....

8 क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि भवन है ?

9 (1) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(2) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देयकर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(3) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर (जनपद गाजियाबाद), द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी

10 (एक) अनुसूची – 2 के अनुसार वार्षिक विज्ञापन कर

(दो) किश्त की धनराशि

11 कोई अन्य विवरण .....

संलग्नक .....

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची–2 (नियम 25 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद) के लिये

1 भूमि दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 480 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2 यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होगी।

3 (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/ प्रतिवर्ष
हल्का वाहन	रु0 3,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रु0 12,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर–

वर्गीकरण	देय कर प्रतिवाहन/ प्रति दिन
(1) तीन पहिया	रु0 30 प्रति दिन
(2) चार पहिया	रु0 300 प्रति दिन
(3) छः पहिया	रु0 600 प्रति दिन

4 विद्युत तथा अन्य श्रेणी पर विज्ञापन पट –

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 1,800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 900 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

5 पोस्टर रू0 180 (प्रति सैकड़ा)
6 परचा रू0 360 (प्रति सैकड़ा)
7 पताका बैनर रू0 60 (प्रति बैनर)
8 विद्युत या इलेक्ट्रिक युक्त/ परिवर्तनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

9	गुब्बारे	रू0: 300 प्रति दिन
10	छतरी	रू0: 300 प्रतिदिन
11	एक स्तम्भ	उपर्युक्त मद 1 अनुसार
12	अन्य प्रकार के विज्ञापन	उपर्युक्त मद 4 अनुसार

स्पष्टीकरण–

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

1 स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत वृद्धि की गणना उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

2 कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

3 यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नही होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

4 यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में वसूला जायेगा।

5 कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होगें।

6 उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में प्रभारित की जायेगी।

अनुज कौशिक,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
मोदीनगर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, स्याना, जनपद बुलन्दशहर

28 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 2/न0पा0परि0 स्याना/प्रकाशन–नगरपालिका परिषद्, स्याना, जनपद बुलन्दशहर ने अपनी सीमान्तर्गत शासनादेश संख्या–406/नौ-9-1997-95 जनरल/1996 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) की धारा 294 एवं 298 (2) की सूची-1 ''ञ'' प्रकीर्ण (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मस और सबस्टेशनों पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण हेतु निर्मित उपविधि, को पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 08 अगस्त, 2019 के अधीन सर्वसाधारण किसी संस्था/सरकारी विभाग की तर्क संगत कारण सहित आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र ''दैनिक विशाल'' विश्वमानव दिनांक 19 अगस्त, 2019 के अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित कराया गया। उक्त उपविधि के प्रकाशन पर नियत अवधि 30 दिवस के अंदर कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

नगरपालिका परिषद्, स्याना ने निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उदेश्य से पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 28 सितम्बर, 2019 द्वारा सीमान्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मस और सबस्टेशनों पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण करने संबंधित उपविधि की पुष्टिकर अंतिम स्वीकृति प्रदान की है जो सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी। उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन उपरांकित पालिका अधिनियम की धारा 301 (2) के अधीन किया जाता है।

उपविधि

1–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, स्याना, जनपद बुलन्दशहर की सीमा अन्तर्गत 'विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण उपविधि' कहलायेगी।

2–यह उपविधि सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

3–परिभाषायें–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस उपविधि में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1916' से है।

(ख) 'नगरपालिका परिषद' का अभिप्राय नगरपालिका परिषद्, स्याना, जनपद बुलन्दशहर से है।

(ग) अध्यक्ष/प्रशासक का अर्थ अध्यक्ष/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, स्याना से है।

(घ) 'बोर्ड' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, स्याना के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ड़) अधिशासी अधिकारी का अभिप्राय नगरपालिका परिषद्, स्याना के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) सीमा का अर्थ–नगरपालिका परिषद्, स्याना की सीमा और भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा से है।

(छ) किराया का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित किराया (शुल्क/फीस) से है।

(ज) ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन का अभिप्राय विद्युत विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद्, स्याना (बुलन्दशहर) की सीमान्तर्गत स्थापित ट्रांसफारर्मस/सबस्टेशन से है।

(झ) वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

4–नगरपालिका परिषद्, स्याना, जनपद बुलन्दशहर द्वारा केवल उन्हीं ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया अधिरोपित कर विद्युत विभाग से वसूल किया जायेगा अथवा बिजली के बिल में उक्त धनराशि समायोजित की जायेगी जो ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन पालिका सीमान्तर्गत स्थापित होंगे।

5–नगरपालिका परिषद्, स्याना, बुलन्दशहर सीमा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया प्रति वर्ष प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित कर वसूल या समायोजित करेगी।

6–वार्षिक मांग की कुल धनराशि एक मुश्त सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर की अंतिम तिथि तक जमा करने पर कुल धनराशि पर 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु 31 मार्च के पश्चात् कुल मांग की धनराशि 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित वसूली की जायेगी।

प्रतिबंध–यदि ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशनों पर वार्षिक किराया मांग की धनराशि निदेशालय/शासन स्तर पर देय विद्युत बिलों में समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी तो मांग की धनराशि में छूट तथा विलम्ब शुल्क प्रभावी नहीं होगा।

7–ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया की दर निम्न प्रकार होगी–

क्र0सं0	किराया के मद का नाम	किराये की दर रू0 में
1	2	3
1.	ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशन	रु0 150.00 प्रतिवर्ग फीट प्रतिवर्ष

उपरोक्त किराया के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जबतक कि यह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित अथवा स्थगित न कर दिया जाये। किराया से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर होगा।

8–उपरोक्त उपनियम के लागू होने की तिथि से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

दण्ड

9–नगरपालिका परिषद्, स्याना, जनपद बुलन्दशहर संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा '299' (1) के अधीन निर्देश देती है कि उक्त उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.0 (एक हजार रूपये) तक हो सकता है। अगर ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहेगा तो अग्रेतर अर्थदण्ड किया जायेगा, जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें अपराधी निरन्तर अपराध करता रहा हो, रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

नंदराम,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
स्याना, बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, महोबा

24 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 645/न0पा0प0 महोबा/2019-2020–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 406/नौ-9/1997-95 जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर 6 में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 (2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1 खण्ड (ख) (झ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद्, महोबा अपनी सीमा के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 255, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277 के प्राविधानों के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि 2019 बनायी जाती है।

अतः निम्नानुसार नगर पालिका परिषद्, महोबा खुले से शौच मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि 2019 प्रकाशित की जाती है, जो गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पालिका परिषद्, महोबा के सीमान्तर्गत प्रभावी होंगी।

खुले से शौच मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि 2019

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, महोबा के सीमान्तर्गत खुले में शौच से मुक्त एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि 2019 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, महोबा द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तिथि से लागू होगी।

2–परिभाषायें–

जब तक कि कोई प्रसंग प्रतिकूल न हों, इस उपविधि में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 संख्या 2 से है।

(ख) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, महोबा से है।

(ग) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, महोबा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, महोबा के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(ङ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, महोबा के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) ''अर्थदण्ड/जुर्माना'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड/जुर्माना से है।

(छ) ''शहर'' को खुले में शौच से मुक्त बनाये रखने, नगर के नाली-नाला, तालाब, कुएं एवं अन्य जलस्रोतों, सड़क व सड़क पटरी या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट डालने एवं मच्छर जनित परिस्थितियॉ उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, महोबा की सीमा के अन्दर निवासरत समस्त नागरिकों के प्रतिदिन के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के अनुचित निस्तारण से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण एवं मच्छर जनित परिस्थितियों के उपरान्त की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से है।

नगर पालिका परिषद्, महोबा द्वारा खुले में शौच करने व सार्वजनिक सड़क, नाला-नाली, तालाब, कुएं एवं अन्य जलस्रोतों व सड़क एवं पटरी, सार्वजनिक भूमि पर कूड़ा डालने एवं मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न करने के विरुद्ध अर्थदण्ड/जुर्माना वसूल करेगी।

3–उपरोक्त जुर्माना/अर्थदण्ड की वसूली अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी करेंगे। दरें निम्नवत् होंगी–

क्र0 सं0	जुर्माना/अर्थदण्ड	जुर्माने की दर प्रतिदिन रुपये में
		रु0
1	खुले में शौच करते पाये जाने पर।	20.00 से 1,000.00 तक
2	सड़क, नाला, नाली एवं सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालते पाये जाने पर।	250.00 एवं अधिकतम 5,000.00
3	तालाब, कुएं एवं अन्य जलस्रोतों में कूड़ा, अपशिष्ट डालते समय पाये जाने पर	500.00 एवं अधिकतम 20,000.00
4	मच्छर जनित परिस्थितियॉ उत्पन्न करने पर	250.00 से मु0 5,000.00 तक
5	पालिका/सार्वजनिक मार्गों, पटरियों/सार्वजनिक भूमि पर मवेशी बांधने अथवा आवारा विचरण हेतु छोड़ने पर	250.00 से अधिकतम 5,000.00 तक जुर्माना एवं खुराकी अतिरिक्त
6	निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट सामग्री सड़क एवं सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	जुर्माना 250.00 से 5,000.00 तक एवं हटाने का व्यय अलग
7	मल की निकासी सेप्टिक टैंक या सीवर लाइन में न करके सीधे नाले में गिराने पर	500.00 से 10,000.00 तक

उपरोक्त अर्थदण्ड/जुर्मानें का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत पालिका के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, महोबा, निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी उपरोक्तानुसार होगा उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि दोषी, उपविधि का उल्लंघन करता रहा है तो उक्त निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम के मध्य की कोई भी धनराशि प्रतिदिन अर्थदण्ड करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, महोबा को होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, महोबा।

NOTICE

Be it known to all that Amit Sindhi residing at 460, Hind Nagar L.D.A. Colony Kanpur Road Lucknow, carrying on business in partnership in the firm name and style of M/s. J. B. MART having registered office at Ground Floor, J. B. Metro Heights Khasra no. 678/1 Behsa Kanpur Road Lucknow-226012 do hereby solemnly affirm and declare as under :

That partnership firm M/s. J. B. Mart has undergone following changes –

That Partner 1. Mr. Ajay Kumar, 2. Mr. Basudeo Kumar, 3. Mr. Rajesh Kumar, 4. Mr. Vikas Kumar Srivastava, 5. Mr. Jitendra Kumar Pawani, 6. Mr. Kushal Arora, 7. Mr. Vishal Vikram Singh has have expressed in writing their inability to continue as partner & decided to retire *w.e.f.* 1st of December, 2020.

That Sumit Kumar Badani S/o Dilip Kumar Badani aged 28 years residing at 460, Hind Nagar Kanpur Road L.D.A. Colony Lucknow is entering in to reconstituted firm *w.e.f.* 1st of December, 2020.

That Firm M/s. J. B. Mart shall continue to carry on business as per terms mentioned in recostituted deed.

Also the firm has changed it registered address & discontinued business at Ground Floor J. B. Metro Heights Khasra no. 678/1 Behsa Kanpur Road Lucknow, U.P. 226012.

That the new partnership firm shall carry on Business at new address situated at 460, Hind Nagar Kanpur Road L.D.A. Colony Lucknow.

AMIT SINDHI
Continuing Partner.

NOTICE

I, Saad Ali Khan S/o Sarwat Ali Khan declare that in my birth certificate my mother's name has been wrongly entered as Arshi Khan while the correct name is Smt. Arshad Aziz Siddiqui W/o Sarwat Ali Khan R/o New Sir Syed Nagar Aligarh, for all future purposes.

SAAD ALI KHAN.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेंसर्स ओपस एग्रो, साझेदारी फर्म ग्राम तुलसीपुर, लाड़पुर रोड़ ब्लाक भोजीपुरा, बरेली, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या बी–14769 में साझेदारों की सहमति से दिनांक 30 नवम्बर, 2020 को श्री शाहिद अली पुत्र श्री रियाजुद्दीन स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गये है व दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को आरफा खान पत्नी श्री जमीर अहमद खान को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार क्रमशः मोहम्मद गाजी खान पुत्र श्री जमीर अहमद खान व अनम मोहसिन पत्नी श्री मो0 हुमैर खान और आरफा खान पत्नी श्री जमीर अहमद खान है।

मोहम्मद गाजी खान,
साझेदार,
मेंसर्स ओपस एग्रो,
साझेदारी फर्म ग्राम तुलसीपुर,
लाड़पुर रोड़ ब्लाक भोजीपुरा,
बरेली, उत्तर प्रदेश-243001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस अभिलेखों में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश कोंमल उर्वशी अंकित हो गया है जबकि उसका सही नाम उर्वशी सिंह है भविष्य में मेरी पुत्री को उर्वशी सिंह के नाम से जाना जाये।

दिनेश कुमार पुत्र श्री फूल सिंह,
म0नं0-12, टाईप-3, जी0पी0आर0ए0,
कोलोनी, करकुंज चौराहे के पास,
सिकन्दरा, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश ओंकार कृष्णा अंकित हो गया है जबकि उसका सही नाम उज्जवल सिंह है भविष्य में मेरे पुत्र को उज्जवल सिंह के नाम से जाना जाये।

नाम-दिनेश कुमार,
पिता का नाम-फूल सिंह,
निवासी-म0 नं0-12, टाईप-3,
जी0पी0आर0ए0,
कालोनी करकुंज चौराहे के पास,
सिकन्दरा, आगरा।

सूचना

मैंने अपना नाम कोमल उर्फ अर्चना परचानी से बदलकर कोमल परचानी पत्नी ललित परचानी नि0 66 सिन्धु नगर कटरा चांद खां, बरेली कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

कोमल परचानी।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।